ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು - ೫೭೦ ೦೦೬.

Karnataka State Open University
Manasagangothri, Mysore - 570 006.

# हिन्दी साहित्य का इतिहास और व्याकरण

## M. A. Previous HINDI
## Course / Paper - IV

### व्याकरण

| | |
|---|---|
| वर्ण विचार | क्रिया |
| संधि और समास | संयुक्त क्रिया |
| शब्द–भेद | अर्थ – कृदंत और तद्धित |
| संज्ञा, वचन और लिंग | वाच्य |
| कारक और सर्वनाम | उपसर्ग और प्रत्यय |
| विशेषण | क्रिया विशेषण |
| संबंध सूचक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादिबोधक | वाक्य विचार |

BLOCK - 8

*ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.*

*ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ* **1986**

---

*ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ................................ ವಿದ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಬದಲು, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವವರ ಬಳಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ.*

*ಡಾ || ಕುಳಂದೈಸ್ವಾಮಿ*

---

*The Open University system has been initiated in order to augment opportunities for higher education and as an instrument of democratising education.*

***National Education Policy 1986***

---

*The Open University system makes use of Multi-media in distance education system. ...................... it is a vehicle which transports knowledge to the place of learners rather than transport people to the place of learning.*

***Dr. Kulandai Swamy***

# हिन्दी एम .ए . प्रीवियस - प्रथम पत्र

KSOU
MGM -06

Hindi
Paper / Course - IV

ब्लाक सं

8

# " हिन्दी व्याकरण "

| Unit No. 13 to 16<br>अनुक्रमणिका : - | Page No. |
|---|---|


| | | |
|---|---|---|
| इकाई 13 | संबंध सूचक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक | 1 - 20 |
| इकाई 14 | वाक्य विचार | 21 - 38 |
| इकाई 15 | काल | 39 - 56 |
| इकाई 16 | स्वर और व्यंजन | 57 - 62 |

# पाठ्यक्रम अभिकल्प तथा संपादकीय समिति


**प्रो.एम.जी.कृष्णान**
उप कुलपति तथा अध्यक्ष
क. रा. मु. वि. विद्यालय,
मैसूर - 6

**प्रो.एस.एन.विक्रमराज अरस**
डीन (शैक्षणिक) - संयोजक
क रा. मु. वि. विद्यालय
मैसूर - 6

---

**डॉ. शशिधर. एल. जी** — संपादक
रीडर,
हिन्दी विभाग,
मैसूर विश्वविद्यालय,
मानस गंगोत्री
मैसूर - 6

**बी. जी. चन्द्रलेखा** — संयोजिका
अध्यक्षा, हिन्दी विभाग ( से.नि.)
क. रा. मु. वि. विद्यालय
मैसूर - 6


---

**पाठ्यक्रम के लेखक** — **ब्लाक - 8**


**डॉ. वी. डी. हेगडे** — इकाई **13** और **14**
रीडर, हिन्दी विभाग, ( से.नि.)
मैसूर विश्वविद्यालय,
मानस गंगोत्री
मैसूर - 6

**डॉ. विमला. एम.** — इकाई **15** और **16**
प्रोफेसर, हिन्दी विभाग,
बेंगलूर विश्व विद्यालय,
बेंगलूर


---


***कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर शैक्षणिक अनुभाग द्वारा निर्मित।***

*सभी अधिकार सुरक्षित। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना, इस कार्य के किसी भी अंश को किसी भी रूप में अनुलिपित या किसी अन्य माध्यम द्वारा प्रतिकृति नहीं किया जाएगा।*



*कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पर अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मानस गंगोत्री, मैसूर - 6 से प्राप्त की जा सकती है।*

*कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से* ***रजिस्ट्रार (प्रशासन)*** *द्वारा मुद्रित व प्रकाशित।*

# ब्लाक परिचय

प्रिय विद्यार्थि - बन्धु ,

आपने ब्लाक 3 के अंतर्गत इकाई 9 में वाच्य, इकाई 10 में उपसर्ग और प्रत्यय, इकाई 11 में अर्थ - कृदंत और तद्धित तथा इकाई 12 में क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन किया है।

प्रस्तुत ब्लाक के अंतर्गत इकाई 13 में संबंध सूचक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक, इकाई 14 में वाक्य विचार, इकाई 15 में काल तथा इकाई 16 में स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

शुभकामनाओं के साथ,

**डॉ.कांबले अशोक**
अध्यक्ष,
हिन्दी अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग
क. रा. मु. वि. विद्यालय,
मैसूर - 6

# इकाई 13
# संबंध सूचक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक


13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 सम्बन्ध सूचक : परिभाषा

13.2.1 सम्बन्ध सूचक का वर्गीकरण

13.2.1.1 अर्थ के अनुसार

13.2.1.2 रुप के अनुसार

13.2.1.3 प्रयोग के अनुसार

13.3 बोधक : परिभाषा

13.3.1 समुच्चय बोधक के भेद

13.3. 1.1 प्रयोग के अनुसार

13.3.1.1.1 समानाधिकरण

13.3.1.1.2 व्याधिकरण

13.3.1.2.2 रचना की दृष्टि से

13.4 विस्मयादि बोधक : परिभाषा एवं भेद

13.5 सारांश

13.6 बोध प्रश्न

13.7 सहायक पुस्तके


## 13.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई में आप सम्बन्ध सूचक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक अव्ययों का अध्ययन करने जा रहे हैं इस इकाई के अध्ययन से आप उपर्युक्त अत्ययों की परिक्षाषाएँ एवं उनके प्रयोग अर्थ एवं रचना अथवा रुप के आधार पर भेदों तथा उपभेदों को समझ पायेंगे तथा विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उसे समझने में भी सक्षम होंगे ।

## 13.1 प्रस्तावना

पूर्व इकाई में आपने अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण का अध्ययन किया । इस इकाई में आप अन्य प्रमुख तीन अव्ययों का अध्ययन करेंगे। इन तीनों अव्ययों का अपनी भाषा में अत्यन्त महत्व पूर्व स्थान है । अतः उनके भेदों एवं प्रयोगों का सविस्सार विचार आगे के पृष्ठों में किया जा रहा है ।

## 13.2 सम्बन्ध सूचक

**परिभाषा :** जो अविकारी शब्द संज्ञा था सर्वनाम का सम्बन्ध वाक्य की क्रिया था अन्य शब्द के साथ जो उता है, उसे सम्बन्ध सूचक शब्द कहते हैं ।

जैसे - दिवाली के पहले मेरे घर की सफाई हो जायेगी ।

उस काम के सिवा कुछ नहीं सूझता ।

नौकर गाँव तक गया ।

धूप के कारण उसका बुरा हाल था ।

उसे के द्वारा पत्र भिजवा देना ।

रात भर जागना अच्छा नहीं लगता ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'के पहले', 'के सिवा' 'गाँव तक' 'के कारण', 'के द्वारा', 'रात भर' आदि शब्द सम्बन्ध सूचक है ।

पहले वाक्य में 'के पहले' सम्बन्ध सूचक 'दीवाली' संज्ञा का सम्बन्ध 'हो जायेगी' क्रिया से जोड़ता है । उसी प्रकार दूसरे वाक्य में 'के सिवा' सम्बन्ध सूचक 'काम' संज्ञा का सम्बन्ध 'नहीं सूझता' क्रिया से मीलाता है । तीसरे वाक्य में 'गाँव तक' सम्बन्ध सूचक 'नौकर' सज्ञां का सम्बन्ध 'गया' क्रिया से जोउता है । चौथे वाक्य में 'के कारण' सम्बन्ध सूचक 'धूप' संज्ञा का सम्बन्ध 'बुरा हाल था' क्रिया से जोड़ता है ।

**सूचना :** विभक्तियों और थोड़े से अव्ययों को छोड़ हिन्दी में मूल सबंदसूचक कोई नहीं है, जिससे कुछ वैयाकरण इसे शब्दभेद नहीं मानते ।

### 13.2.1 सम्बन्ध सूचक शब्दों का वर्गीकरण

अर्थ रुप और प्रयोग के अनुसार सम्बन्ध सूचक अव्यय को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है । यह वर्गीकरण अध्ययन की सुविधा हेतु किया जा रहा है ।

#### 13.2.1.1 अर्थ के अनुसार सम्बन्ध सूचक शब्दों के भेद

कोई-कोई कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय क्रिया विशेषण भी होते हैं और संबंधसूचक भी । जब वे स्वतंत्र रुप से क्रिया कीविशेषता बताते हैं तब उन्हें क्रिया-विशेषण कहते हैं, परंतु जब उनका प्रयोग संज्ञा के साथ होता है, तब उसे संबंध्द सूचक कहाते हैं ।

कालवाचक संबंध सूचक शब्दों के कुछ उदाहरण निमलिखित हैं -

- नौकर मालिक के यहाँ रहता है ।
- यह काम जाने से पहले करना चाहिए ।
- भोजन के उपरांत हम विश्राम करेंगे ।
- गाडी समय से पूर्व आ पहुँची ।

के अनन्तर, के उपरान्त, के पूर्व, के लगभग, के (से) बाद, के (से) आगे, के (से) पीछे, के (से) पहले आदि काल-वाचर सम्बन्ध सूचक शब्द है ।

**रथानानवाचक :** उदाहरण निम्नलिखित हैं -

जैसे - नदी के किनारे मंदिर है ।

काँलेज के पास कैंटीन है ।

घर से दूर रहना पीडादायक होता है ।

लड़के को कक्षा के बाहर मत निकालो ।

गीता के सामने यक्षप्रश्न था ।

के समीप, के निकट, के पास, के नजदीक, के यहाँ, के बाहर, के भीतर, से दूर, के किनारे, से परे आदि शब्द स्थान-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं ।

**दिशा-वाचक :**

नदी के उस पार गाँव है ।

घर के आस-पास हरियाली है ।

राम के प्रति मेरी निष्ठा है ।

उस तरफ बहुत भीड़ है ।

की ओर, की तरफ, के पार, के आस-पास, के आर-पार, के तईं, के प्रति आदि दिशा-वाचक सम्बन्धसूचक हैं ।

**साधन वाचक :**

नौकर के द्वारा संदेशा भिजवा दिया ।

डाक के जरिये पत्र मिलता ।

पापा ने राहुल के हाथ पैसे भेजें ।

के द्वारा, के जरिये, के साहरे, की जबानी, के हाथ, की सार्फत, के बूते, के बल, आदि साधन-वाचक सम्बन्ध-सूचक है ।

**हेतुवाचक (कार्य कारण वाचक) :**

जैसे : गर्मी के मारे बुरा हाल है ।

बाढ़ के कारण गाँव उजड़ें ।

दोस्त के वास्ते रहिम झूठ बीला ।

के मारे, के कारण, के लिए, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु की खातिर, के सबब, आदि हेतुवाचक सम्बन्ध सूचक हैं ।

**विषय वाचक :** मेरे लिखे वह नहीं के बराबर है ।

तुम्हारी बाबत क्या कहा जाय ।

तुम्हारे नाम कर्मान जारी है ।

के लेखे, के नाम, की बाबस, के निस्वत्त, के मध्दे, के विषय (में), के भ़रोसे आदि विषय वाचक सम्बन्ध सूचक शब्द हैं ।

**(व्यतिरेकी वाचक)** उसके सिवा तुम कर ही क्या सकते थे ।

अपमान के अलावा उसे कुछ नहीं मिला ।

राम के बगैर सीता की पहचान नहीं ।

के सीवा, के अलावा, के अतिरिक्त, के बिना, से रहित, के बगैर, के सिवाय आदि व्यतिरेकी वाचक शब्द है ।

**विरोधवाचक :** उसके खिलाफ बहुत से इल्जाम हैं ।
चुनाव में मेरे विरुद्ध कौन खड़ा होगा ।

के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत, से उलटा आदि शब्द विरोध-वाचक सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं ।

**विनिमय वाचक :** उस उपकार के बदले हम देही क्या सकते हैं ।
श्याम की जगह कोई दूसरा होता, तो बाजी हार जाता ।
गहनों की एवज में मुझे पैसे दीजिए ।

के बदले, की जगह, के एवज, के पलटे आदि विनिमय वाचक सम्बन्ध सूचक शब्द हैं ।

**सादृश्य-वाचक** - मेरे योग्य सेवा हो तो अवश्य कहियेगा ।
उसके समान सुखी और कोई नहीं ।

के योग्य, के समान, की तरह, की भाँति, के अनुसार, के मुसाबिक, के अनुरुप, के सदृश, के बराबर आदि सादृश्य वाचक सम्बन्ध सूचक शब्द हैं ।

**सहचार वाचक :** जैसे - राम के साथ सीता ने भी कष्ट उठाये ।
मित्रों सहित वह चला गया ।

के सहित, के साथ, के संग, के वश (में), के अधीक आदि शब्द सहचार वाचक सम्बन्ध सूचक शब्द हैं ।

**संग्रह वाचक :** किसान दिन भर काम में लगा रहा ।
मृत्यु पर्यंत वह संघर्ष करता रहा ।
प्रेमी के आने तक प्रेमिका खड़ी की खड़ी रही ।

भर, पर्यंत, तक, समेत, लौं, मात्र आदि शब्द संग्रह वाचक सम्बन्ध सूचक शब्द हैं ।

**तुलना वाचक :** वह प्रत्येक कार्यमें सबके आगे रहता है ।
मेरी अपेक्षा वह अधिक श्रेष्ठ है ।

की अपेक्षा, के आगे, के सामने, की बनिस्वत, के सम्मुख, आदि शब्द तुलना-वाचक सम्बन्ध सूचक शब्द हैं ।

### 13.2.1.2 रुप के अनुसार सम्बन्ध सूचक के भेद

रुप या व्युत्पत्ति के अनुसार सम्बन्ध सूचक दो प्रकार के हैं -

1) मूल 2) यौगिक

**मूल सम्बन्ध सूचक :** जो सम्बन्ध सूचक किसी अन्य ्ब्द से बनाया जाता है, वह मूल सम्बन्ध सूचक शब्द कहलाता है -

जैसे - तक, के बिन्ना, की ओर, पर्यंत, माई, पूर्वक आदि ।

**यौगिक सम्बन्ध सूचक :** जो सम्बन्ध सूचक किसी अन्य शब्द से बनाया जाता है, वह यौगिक सम्नबन्ध सूचक कहलाता है । यौगिक सम्बन्ध सूचक दूसरे शब्द भेदों से बनते हैं ।

**संज्ञा से :** के नाम, के बदले, के लेखे, के मार्फस, के वास्ते, आदि ।

**विशेषण से :** के समान, के योग्य, के तुल्य, के सरीखा, के जैसा आदि ।

**क्रिया विशेषण से :** के बाहर, के ऊपर, के भीतर, के पास, से दरू, के पीछे, के परे आदि ।

**क्रिया से :** के लिए, के मारे, के जाने, कर के आदि ।

(**विशेष :** सम्बन्ध-सूचक के योग से आकारान्त संज्ञाओं के रुप) बदल जाते हैं ।

चौराहा = चौराहे सामाते

कपडा = कपडे के लिए

बच्चा = बच्चे सहित

### 13.2.1.3 प्रयोग के अनुसार संबध सूचक

प्रयोग के अनुसार संबंध सूचक दो प्रकार के होते हैं

क) संबद्ध ख) अनुवाद

**क) संबद्ध :** संबद्ध सम्बन्ध सूचक संज्ञाओं की विभाक्तियों के पीछे आते हैं -

जैसे - धन के बीना

नर की नाईं

पूजा के पहले

स्नान के बाद

रात के समान

ख) अनुबद्ध सम्बन्ध सूचक संज्ञा के विकृत रुप के साथ आते हैं -

जैसे - किनारे तकं, पुत्रों समते,

सखियों सहित, लडके सरिखा

करोरे भर, चाराहें तक

सूचना -

ने, को, से, का, के, की अनुबद्ध संबंध सूचक हैं परन्तु नीचे दिए कारणों से इन्हें संबंद्ध सूचक में नहीं मानते

- इनमें से प्रायः सभी संस्कृत के विभक्ति प्रत्ययों के अपभ्रंश हैं । इसलिये हिन्दी में भी ये प्रत्यय माने जाते हैं ।
- इनको सम्बन्ध सूचक मानने से संज्ञाओं की प्रचलित कारकरचना की रीति में हेरफेर करना पडेगा, जिससे विवेचन में अव्यवस्था उत्पन्न होगी ।
- ये स्वतंत्र शब्द न होने के कारण अर्थहीन हैं, परंतु दूसरे संबंधसूचक बहुधा स्वंतत्र शब्द होने के कारण सार्थक हैं ।

**विशेष :** हिन्दी में कई एक संबंधसूचक उर्दू भाषा से और कई एक संस्कृत से आए हैं । इनमें बहुत से शब्द हिन्दी के संबंधसूचकों के पर्यायवाची हैं। कितने एक संस्कृत संबंधसूचकों का विचार हिंदी के गद्य काल से आरंभ हुआ है । तीनों भाषाओं में कई एक पर्यायवाची संबंधसूचकों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं ।

| हिंदी | उर्दू | संस्कृत |
|---|---|---|
| सामने | रुबरु | समक्ष, संमुख |
| पास | नजदीक | निकट, समीप |
| मारे | सबब, बदौलत | निकट. समीप |
| पीछे | बाद | पश्चात, अनंतर, उपरांत |
| तक | ता | पर्यंत |
| से | बनिस्वत | अपेक्षा |
| नाईं | तरह | भाँति |
| उलटा | खिलाफ | विरुद्ध, विपरीत |
| लिये | वास्ते, खातिर | निमित्त, हेतु |
| से | जरिए | द्वारा |
| मद्धे | बाबत, निस्वत | विषय |
| पलटे | बदले, एवज | |
| सिवा | अलावा | अतिरिक्त |

## 13.3 समुच्चय बोधक

**परिभाषा :** जो अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यो को जोडने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं ।

**उदा :** 'हवा चली और पानी गिरा ।'

उपर्युक्त वाक्य में 'ओर' समुच्चय बोधक शब्द है । क्योंकि यह पूर्व वाक्य का संबंध उत्तर वाक्य से मिलाता है । कभी कभी समुच्चय बोधक से जोडे जानेवाले वाक्य पूर्णतया स्पष्ट नहीं रहते -

जैसे - 'राम और श्याम गए ।'

इस प्रकार के वाक्य देखने में एक ही जान पडते हैं, परन्तु दोनों वाक्यों में क्रिया एक ही होने के कारण संक्षेप के लिए उसका प्रयोग केवल एक ही बार किया गया है । ये वाक्य स्पष्ट रुप से लिखें जायेंगे तो इसप्रकार लिखे जाते

'कृष्ण गए और बलराम गए ।'

इसलिए 'और' यहाँ दो वाक्यों को मिलाता है ।

इसीप्रकार -

काम ऐसा करो कि तुम्हें यश मिले ।

यदि सूर्य न हो तो कुछ भी न हो ।

इन वाक्यों में 'कि', 'यदि', 'तो' दो वाक्यों को जोडते हैं ।

'**सूचना :** कभी - कभी कोई कोई समुच्चयबोधक वाक्य में शब्दों को भी जोडते हैं, जैसे - 'दो और दो चार होते हैं ।' यहाँ दो चार होते हैं और दो चार होते हैं' ऐसा अर्थ नहीं हो सकता। अर्थात 'और' समुच्चय बोधक दो संक्षित वाक्यों को नहीं मिलाता, किंतु दो शब्दों को मिलाता है। तथापि ऐसा प्रयोग सब समुच्चय बोधकों में नहीं पाया जाता 'और' 'क्योंकि', 'यदि', 'तो', 'यद्यपि', 'तो भी' आदि कई समुच्यबोधक केवल वाक्यों ही को जोडते है।

## 13.3.1 समुच्चय बोधक अव्यय का वर्गीकरण

समुच्चय बोधक अव्यय का वर्गीकरण प्रयोग एवं रचना के अनुसार किया गया है । उसका विस्तार से अध्ययन निम्नलिखित हैं -

### 13.3.1.1 प्रयोग के अनुसार समुच्चय बोधक के भेद्द

प्रयोग की दृष्टि से समुच्चय बोधक के प्रमुखत दो भेद होते हैं -

1) समानाधिकरण 2) व्याधिकरण

#### 13.3.1.1.1 समानाधिकरण समुच्चय बोधक

जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले दो उपवाक्यों को जोडता है, उसे समानाधिक समुच्चय बोधक कहते हैं ।

समानाधिकरण समुच्चय बोधक के कुल चार भेद हैं -

1) संयोजक 2) विभाजक

3) विरोददर्शक 4) परिणाम-दर्शक ।

संयोजक - जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक बातों को जोडता है, उसे संयोजक समानाधिकरण समुच्चय-बोधक कहते हैं ।

उदा : हम लोग आगरा जायेंगे और ताजमहल दखेंगे ।

बिल्ली के पंजे होते हैं और उनमें नख होते हैं ।

पहले पहले वहाँ भी अनेकक क्रूर तथा भयानक उपचार किए जाते थें ।

अब मैं भी तुम्हारी सकी का वृतांत पूछता हूँ ।

उपर्युक्त वाक्यों में और, तथा, भी शब्द संजोयंक है । 'और', 'तथा', 'एवं', 'भी', 'व' संयोजक शब्द हैं ।

'व' : यह उर्दू शब्द 'और' का पर्यायवाची है ।

'तथा' : यह संस्कृत संबंधवाचक क्रिया-विशेषण 'यथा' का नित्यसंबधी है । और इसकका अर्थ 'वैसे' है । इस अर्थ में इसका प्रयोग कविता में होता है । किन्तु गद्य में इसका प्रयोग 'और' के अर्थ में होता है । इसका प्रयोग अधिकत्तर 'और' सब्द की द्विरुक्ति का निवारण करने के लिए होता है -

जैसे - संध्या और गीता तथा उनका छोटा भाई ।

'और' : समुच्चय बोधक होने पर इसका प्रयोग साधारण अर्थ के सिवा नीचे लिखे विशेष अर्तों में भी होता है ।

जैसे -

अ) दो वाक्यों का नित्य संबंध -

जैसे - मैं हूँ और तुम हो । (मैं तुम्हारा सायम छोडूँगा)

आ) दो क्रियाओं की समकालीन घटना -

जैसे - सिर मुंडाया और ओले बरसे ।

इ) धमकी वां तिरस्कार -

जैसे - फिर मैं हूँ और तुम हो । (मैं तुमको सूब समझूँगा ।)

कभी-कभी दो शब्दों के बीच और का लोप भी होता जाता है - बूरा-भला, सुख-दुख, धर्म-कर्म, हाथ-पाँव आदि ।

'भी' : यह पहले वाक्य से कुछ सादृश्य मिलाने केलिए आता है ।

जैसे - कुछ महत्म्य ही पर नहीं, गंगा जी का जल भी ऐसा ही उत्तम और मनोहर है ।

कहीं कहीं 'भी' अवधारण बोधक प्रत्यय 'ही' के समान अर्थ क्षेता है -

- एक भी आदमी नहीं मिला ।
- इस काम को कोई भी कर सकता है ।

कभी-कभी 'भी' से आश्चर्य या संदेह सूचित होता है

- तुम वहाँ गए भी थे ?
- पत्थर भी कहीं पसीजता है ।

कभी-कभी इसमें आग्रह का भी बोध होता है -

'उसे भी, तुम जाओगी भी ।

**विभाजक :** जिस समानाधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा दो बातों में एक का स्वीकार अथवा दोषों का निषेध होता है, उसे विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं ।

जैसे - सीता जायेगी या सुजाता जायेगी ।

इस वाक्य में 'या' विभाजक है ।

'अथवा', 'किंवा', 'कि', 'या-या', 'चाहे-चाहे', 'क्या-क्या', 'न-न', 'न-कि', नहिं-तो' भी विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं ।

**या, वा, थथवा, किंवा :** यें चारों शब्द पर्यायवाची हैं । इनमें से 'या' उर्दू और शेष तीन संस्कृत हैं । 'अथवा' और 'किंवा' में दूसरे अव्ययों के साथ 'व' मिला है । 'था', 'वा', 'अथवा' इन शब्दों का प्रयोग द्विरुति के निवारण के लिये होता है -

जैसे - किसी पुस्तक की अथवा किसी ग्रंथकार या प्रकाशक की एक से अधिक पुस्तकों की प्रशंसा में किसी ने एक प्रस्ताव पास कर दिया ।

'था', 'वा', कभी-कभी पर्यायवाची शब्दों को मिलाते हैं ।

जैसे - निष्ठा या विश्वास होना ज़रूरी है । 'वा' और 'अथवा' में से कोई भी दो अलग-अलग शब्द होने चाहिए । 'किंवा' का प्रयोग बहुधा कविता में होता है ।

उदा - 'नृप अभिमान मोह बस किंवत'

'वे हैं नरक के दूत किंवा सूत है कलिराज के ।'

**'कि' :** यह विभाजक - कि उद्देश्यवाचक और स्वरुपवाचक 'कि' से भिन्न है । इसक अर्थ 'था' के समान है परंतु इसका प्रयोग बहुधा कविता में होता है। 'कि' कभी-कभी दो शब्दों को भी मिलाता है ।

**या-या :** ये शब्द जोडे से आते हैं -

जैसे - 'या तो फाँसी लगाकर मर जाऊँगी या गंग में कूद पड़ूँगी ।'

कभी-कभी 'कहाँ-कहाँ' को समान इनसे 'महत् अंत्तर' सूचित होता है ।

जैसे - 'या वह रौनक भी था सुनसान हो गया ।'

प्राय : इसी अर्थ में 'चाहे-चाहे' का प्रयोग होता है - 'चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में होना तो वही है ।' यह शब्द चाहना क्रिया से बना है ।

क्या-क्या : ये प्रश्नवाचक सर्वनाम समुच्चय बोधक के समान उपयोग में आते हैं। कोई इन्हें संयोजक और कोई विभाजक मानते हैं । इनके प्रयोग में यह विशेषता है कि ये वाक्य में दो वा अधिक शब्दों का विभाज बताकर उन सबका इकट्ठा उल्लेख करते हैं -

जैसे - क्या पुरुष क्या स्त्री ।
क्या मनुष्य क्या प्राणी ।
क्या धूप क्या छाया ।

**न - न :** ये दुहरे क्रियाविशेषण समुच्चय बोधक होकर आते हैं । इनमें दो वा अधिक शब्दों में से प्रत्येक त्याग सूचित होता है ।

जैसे - 'न उन्हें नींद आती थी न भूख-प्यास लगती थी ।'

कभी-कभी इनसे आवश्यकता का बोध होता है -

जैसे - न ये अपने प्रबंधों में छुट्टी पावेंगे न कही जायेंगे ।

कभी-कभी इनका प्रयोग कार्य-कारण सूचित करने में होता है -

जैसे - 'न तुम आते न यह उपद्रव होता ।'

**न-कि :** यह 'न' और 'कि' से मिलकर बना है । इससे बहुधा दो बातों में से दूसरी का निषेध सूचित होता है - उदा - वह पुस्तक देने के लिए आया था न कि रोने ।

**नहीं-तो** : यह भी संयुक्त-क्रिया विशेषण है और समुच्चयबोधक के समान उपयोग में आता है । इससे बात के त्याग का फल सूचित होता हैं - जैसे -

उसने मुँह पर घूँघट सा डाल दिया है, नहीं तो राजा की आँखें कब उसपर ठहर सकती थी ।

**विरोधदर्शक** : जिस समानाधिकरण समुच्चय-बोधक के द्वारा दो बातों में विरोध प्रकट होता है, जैसे :

राम ने परिश्रम किया, पर वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया ।

'परन्तु', 'किन्तु', 'लेकिन', 'मगर', 'वरन्' और 'बर्तक' भी विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं ।

**'पर'** : 'पर' ठेठ हिन्दी शब्द है, 'परंतु' तथा 'किंतु' संस्कृत शब्द ओर 'लेकिन' तथा 'मगर' भी इनका पर्यायवाची है, परंतु इनका प्रयोग हिंदी में भ्वचित् होता है ।

**'किंतु, वरन्'** : ये शब्द भी पर्यायवाची हैं । इनका प्रयोग बहुधा निषेधवाचक वाक्यों के पश्चात होता है,

जैसे - 'कामनाओं के प्रबल होने से आदमी दुराचार नहीं करते किंतु अंतःकरण के निर्बल हो जाने से वैसा करते हैं ।'

- 'मैं केवल सपेरा नहीं हैं किंतु भाषा का कवि भी हूँ ।'
- 'इस संदेह का इत्तने काम बीतने परयथोचित समाधान करना कठिन है, वरन् बडे बडे विद्वानों की मति भी इसमें विरुद्ध है ।

'वरन्' बहुधा एक बात को कुछ दबाकर दूसरी की प्रधानता देने के लिए भी आता है ।

**परिणाम बोधक** : जिस समानाधिकरण समुच्चय बोधक से सूचित होता है कि अगली बात पिछली बात का फल है ।·उसे परिणाम बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं ।

**जैसे** : 'वह अस्वस्थ है इसलिए सभा में उपस्थित हो न सका ।' (इस वाक्य में 'इसलिए' परिणाम बोधक समानाधिकारण समुच्चय बोधक है)

'अनएव', 'अतः', 'इस कारण', 'इस वास्ते', 'इससे', 'लिहाजा', 'इसीलिए' और 'सो' भी परिणाम बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं ।

**'अतएव, अतः' :** ये संस्कृत शब्द 'इसलिये' के पर्यायवाचक है और इनका प्रयोग उच्च हिन्दी में होता है ।

**'सो' :** ये निश्चयवाचक सर्वनाम 'इसलिये' के अर्थ मे आता है, परंतु कभी-कभी इसका अर्थ 'तब' वा 'परंतु' भी होता है ।

**जैसे :** 'मैं घर से बहुधा दूर निकल गया था, सो मैं ब : खेद से नीचे उतरा।'

'फंस ने अवश्य यशोदा की कन्या के प्राण लिए थे, सौ वह असुर था।'

### 13.3.1.1.2 व्याधिकरण समुच्चय बोधक

जो समुच्चय बोधक आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य के साथ जोडता है, उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं । इसके चार भेद हैं -

क) स्वरुप वाचक ख) कारण-वाचक

ग) उद्देश्य वाचक घ) संकेत वाचक

**क) स्वरुप-वाचक :** जिस व्याधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा एक उपवाक्य का स्वरुप दूसरे वाक्य में जाना जाय, उसे स्वरुप वाचकक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं ।

**उदा :** 'शिक्षक ने विद्यार्थी को समझाया कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए ।'

इस वाक्य में 'कि' स्वरुप वाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक हैं ।

'अर्थात', 'जैसे', 'मानो' आदि भी स्वरुप वाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक हैं ।

कि - जब यह स्वरुपवाचक है, तब इससे किसी बात का केवल आरंभ या प्रस्तावना सूचित होती है ।

जैसे - श्री शुकदेव मुनि बोले कि महाराज़ आगे की कथा सुनिए ।

मेरे मन में आती है कि इससे कुछ पूछूँ ।

बात यह है कि लोगों की रुचि एकसी नहीं होती ।

(जब आश्रित वाक्य मुख्य वाक्य के पहले आता है, तब 'कि' का लोप हो जाता है, परंतु मुख्य वाक्य में आश्रित वाक्य का क ई समानाधिकरण शब्द आता है -

जैसे - परमेश्वर एक है, यह धर्म की बात है ।

सबर काहे का बनता है, यह बात तेरों को मालूम नहीं है ।

**जो :** यह स्वरुपवाचक 'कि' का समानार्थी है, परंतु उसकी अपेक्षा अब व्यवहार में कम आता है ।

**अर्थात :** यह संस्कृत विभक्त्यंत संज्ञा है । पर हिंदी में इसका प्रयोग समुच्चय-बोधक के समान होता है । यह अव्यय किसी शब्द या वाक्य का अर्थ समझाने में आता है ।

जैसे : धातु के टुकडे ठपो के होने से सिवका अर्थात मुद्रा कहते हैं ।

साधु लोग चौमासे भर अर्थात बरसात भर भाशी में रहे ।

इनमें परस्पर सजातीय भाव है, अर्थात ये एक दूसरी से जुदा नहीं ।

कभी-कभी 'अर्थात' के बदले 'अथवा', 'वा', 'या' आते हैं और सब यह बताना कठीण हो जाता है कि ये स्वरुपवाचक हैं या विभाजक; अर्थात ये एक ही गर्थवाले शब्दों को मिलाते हैं या अलग-अलग अर्यवाल शब्दों को;

जैसे - बस्ती अर्थात जन्मस्थान वा जनपद का तो नाम भी मुश्किल से मिलता था।

तुम्हारी हैसियत वा स्थिति चाहे कैसी हो ।

**'मानो' :** यह 'मानना' क्रिया के विधिकाल का रुप है, पर कभी-कभी इसका प्रयोग 'ऐसा' के साथ उपमा (उत्प्रेक्षा) में समुच्चय-बोधक के समान होता है ।

जैसे - यह चित्र ऐसा सुहावना लगता है मानो सुंदरता साक्षात खडी है ।

**कारणवाचक :** जिस व्याधिकरण समुच्चय-बोधक के द्वारा एक उपवाक्य का कारण दूसरे उपवाक्य से जाना जाय, उसे कारण वाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं -

जैसे - छात्रा आज उदास है क्योंकि उसकी पुस्तक खो गई ।

'क्योंकि' कारण वाचक भाधिकरण समुच्चय-बोधक है ।

क्योंकि, जोकि, इसलिये ये कारण-वाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक है।

इन अव्ययों से आरंभ होनेवाले वाक्य पूर्ववाक्य का समर्थन करते हैं - अर्थात पूर्ववाक्य के अर्थ का कारण उत्तर वाक्य के अर्थ से सूचित होता है ।

जैसे - तुम यह काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें उसका अनुभव नहीं है ।

**क्योंकि :** के बदले कभी-कभी 'कारण' शब्द आता है । यह समुच्चय बोधक का काम देता है । कभी-कभी कारण के अर्थ में परिणाम बोधक 'इसलिये' आता है और तब उसके साथ बहुधा कि 'रहता है ।

उदा - दुष्यंत क्यो माधव, तुम लाठी को क्यों बुरा कहा चाहते हो ? माधव इसलिए कि मेरा अंग तो टेढ़ा है, और वह सीधी बनी है ।

**जो कि :** यह उर्दू 'चूँकि' के बदले कानूनी भाषा में कारण सूचित करने के लिये आता है;

जैसे - 'जोकि यह अमर करीन मस्लहत है ......... इसलिये नीचे लिखे मुताबिक होता है ।'

इस उदाहरण में पूर्व वाक्य आश्रित है, क्योंकि उसके साथ कारणवाचक समुच्चयबोधक आता है । दूसरे स्थानों में पूर्ववाक्य के साथ बहुधा कारणवाचक अव्यय नहीं आता और वहाँ वह वाक्य मुख्य समझा जाता है । वैयाकरणों का मत है कि पहले कारण और पीछे परिणाम कहने से कारणवाचक वाक्य आश्रित और परिणाम बोधक वाक्य स्वंतत्र रहता है ।

**उद्देस्यवाचक :** जिस व्याधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा एक उपवाक्य का फल था निमित्त दूसरे उपवाक्य से जाना जाय, उसे उद्देश्य वाचक व्याधिकरण मिले । 'इसलिए ..... कि' उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चय-बोधक हैं ।

कि, ताकि, जिससे, कि भी उद्देश्य वाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक है ।

जब उद्देश्यवाचक वाक्य मुख्य वाक्य के पहले आता है तब उसके साथ कोई समुच्चय बोधक नहीं रहता, परंतु वाक्य 'इसलिये' से आरंभ होता है -

**उदा :** "यह इसलिए मेहनत करता है कि देश की प्रगति हो ।"
तपोवनवासियों के कार्य में विध्व न हो, इसलिये रथ को यही रखिए ।
इस बात की चर्चा हमने इसलिये की है, कि उनकी शंका दूर हो जावे ।"

**संकेतवाचक :** जिस व्यधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा एक उपवाक्य मे कोई संकेत या शर्त प्रकट हो और दूसरे में उसका फल व्यक्त हो, उसे संकेत वाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं ।

जैसे - यदि वे आते तो कितनी रौनक हो जाती ।

(इस वाक्य में 'यदि-तो' संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक है ।)

'यद्यपि, तथापि', 'चाहे-पर', 'यद्यपि तो भी', 'अगर-तो' भी संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्य बोधक है ।

**यद्यपि तथापि :** (तो भी)

ये शब्द जिन वाक्यों में आते हैं उनके निश्चयात्मक विधानों में परस्पर विरोध पाया जाता है -

जैसे - "यद्यपि यह देश तब तक जंगलों से भरा हुआ था तथापि अयोध्या अच्छी बस गई थी ।"

('तथापि' के बदले बहुधा 'तो भी' और कभी-कभी 'परंतु' आता है -

जैसे - 'यद्यपि हम बनवासी है तो भी लोक के व्यवहारों को भली भाँति जानते हैं।'

(कभी-कभी 'तथापि' एक स्वतंत्र वाक्य में आता है; और वहाँ उसके साथ 'यद्यपि' की आवश्यकता नहीं रहती -

जैसे - मेरा भी हाल ठीक ऐसे ही बौने के जैसा है । तथापि एक बातभवश्य है ।)

**'चाहे' परंतु :** जब 'यद्यपि' के अर्थ में कुछ संदेह रहता है तब उसके बदले 'चाहे' आता है,

जैसे - "उसने चाहे अपने सखियों की ओर ही देखा हो, परंतु मैंने यह्री जाना ।"

'चाहे' बहुधा संबंधवाचक सर्वनाम, विशेषण वा क्रिया विशेष्ण के साथ आकर उसकी विशेषता बतलाता है और प्रयोग के अनुसार बहुधा क्रिया विशेषण होता है -

जैसे - 'यहँ-चाहे जो कह लो परंतु अदालत में तुम्हारी गीदड़ भय की नहीं चल सकती ।'

'मेरे रनिवास में चाहे कितनी भी एनियाँ हो पर मुझे दो ही प्यारी होंगी ।'

**जो-तो :** जब पूर्व वाक्य में कही हुई शर्त पर उत्तर वाक्य की घटना निर्भर होती है, तब इन शब्दों का प्रयोग होता है । इसी अर्थ में 'यदि तो' आते हैं । 'जो' साधारण भाषा में और 'यदि' शिष्ट अथवा पुस्तकीय भाषा में आता है ।

उदा - 'जो तू अपने मन से सच्ची है तो पतिधर में दासी होकर भी रहना अच्छा है।'

'यदि ईश्वरेच्छा से यह वही ब्राह्मण हो तो बडी अच्छी बात है ।

(कभी-कभी 'जो' से आतंक पाया जाता है -

'जो मैं राम तो कुल सहित कहहिदसातन जाय ।'

'जो हरिश्चंद्र को तेजोभ्रष्ट न किया तो मेरा नाम विश्वमित्र नहीं ।'

'जो' कभी-कभी जब के अर्थ में आता है -

जैसे - 'जो वह स्नेह ही न रहा तो अब सुधिं दिलाए क्या होता है ।'

### 13.3.1.2 रचना की दृष्टि मे समुच्चय बोधक के भेद

रचना की दृष्टि से समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं - क) रुढ ख) यौगिक

क) रुढ समुच्चय बोधक : और, एवं, कि, यदि आदि

ख) यौगिक समुच्चय बोधक : क्योंकि, यद्यपि, तथापि जैसे आदि

'या-या', 'न-न', 'चाहे-चाहे', 'यदि तो' जैसे नित्य सम्बन्धी समुच्चय बोधक भी यौगिक समुच्चय बोधक के अन्तर्गत आते हैं ।

## 13.4 विस्मयादि बोधक : परिभाषा एवं भेद

जो शब्द कोई तीव्र भाव था मनोविकार व्यक्त करता है और वाक्य के किसी दूसरे शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, उसे विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं -

जैसे - क्यों ! फिर आ गये ?

ठीक ! अब इसी तरह लिखना ।

राम-राम ! उसने न जाने कितनी हत्यायें की ।

काश ! मैं भी काश्मीर गया होता ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'क्यों' ? 'ठीक' !, 'राम एम' ! और 'काश' ! विस्मयादि बोधक शब्द हैं, जिनका वाक्य में दूसरे शब्दों से कोई सम्बन्धं नहीं है ।

### विस्मयादि बोधक शब्दों के भेद

क) विस्मय बोधक = वाह ! हैं ! ऐं ! ओहो ! वाह-वाह ! वाह वा !

ख) हर्ष बोधक = अखं ! आहां ! अहह ! धव्य ! शाबाश !

ग) शोक बोधक = हाय ! हा हा हा ! आह ! ऊह ! हाथ-हाथ !

घ) तिरस्कार बोधक = छि ! धुत् ! अरे ! धिक ! चुप ! धुः !

च) क्रोध-सूचक = चुप ! हट ! क्यों ! अबे !

छ) स्वीकार बोधक = ठीक ! भला ! जी हाँ ! अच्छा !

ज) सम्बोधन द्योतक = अजी ! अरे ! रे ! लो ! हे ! अहो !

कभी-कभी वाक्यांश या सम्पूर्ण वाक्य विस्मयादि बोधक के रुप में प्रयुक्त होते हैं -

ऐसी अशुभ बात !

क्या कहने !

सर्वनाश हो गया ।

धन्य महाराज ।

कमाल है ।

कभी-कभी विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग संज्ञा के रुप में होता है ।

जैसे - उसे सारे दिन हाथ-हाथ लगी रहती है ।

उनकी वाह वाह हुई ।

गरीबों की हाथ व्यर्थ नहीं जायेगी ।

सेनापति का जय-जयकार हुआ ।

## 13.5 सारांश

प्रस्तुत इकाई में आपने देखा कि किस प्रकार सम्बन्ध सूचक अव्यय का प्रयोग वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध मिलाने के लिये होता है । इसके अर्थ प्रयोग एवं रुप के अनुसार विभिन्न भेद / उपभेद होते हैं । उसी प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से मिलाता है । यदि तो और, क्योंकि, इसलिये आदि शब्द दो वाक्यों को जोडते है । इस अव्यय के प्रयोग के अनुसार दो भेद होते है 1) समानाधिकरण 2) व्यधिकरण। इसके भी

उपभेद पाये जाते हैं । रुप या रचना की दृष्टि से भी इसके दो भेद भूल और यौगिक हैं । विस्मयादि बोधक अव्ययों का वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता। हर्ष, शोकादि का भाव व्यक्त करने के लिये ही जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं ।

## 13.6 बोध प्रश्न

1) सम्बन्ध सूचक की परिभाषा दीजिए ।
(देखिए 13.2.1)

2) अर्थ के अनुसार सम्बन्ध सूचक शब्दों के कितने शब्द है ? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए ।
(देखिए 13.2.1.1)

3) निम्नलिखित वाक्यों में से सम्बन्ध सूचक शब्द रेखांकित कीजिए -
घर के आस-पास अंधेरा रहता है ।
काम के मारे दम निकल रहा है ।
नदी के किनारे नाव है ।
गाडी समय से पूर्व आयी ।

4) समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा दीजिए और उसके भेदों पर प्रकाश डालिए ।
(देखिए 13.3, 13.3.1)

5) नीचे लिखे समुच्चय बोधक शब्दों से वाक्य बनाइये -
कि, इसलिए कि, क्योंकि, और, या, परन्तु, अगर-तो

6) विस्मयादि बोधक शब्द की परिभाषा दीजिए ।
(देखिए 13.4)

7) विस्मयादि बोधक शब्द के भेद सादाहरण लिखिए ।
(देखिए 13.4)

## 13.7 सहायक पुस्तके

1) हिन्दी व्याकरण : कामता प्रसाद गुरु
2) हिन्दी रुप रचना : सं आचार्य जयेन्द्र त्रिवेदी

## इकाई 14
# वाक्य विचार

इकाई की रुपरेखा

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 मूलपाठ : वाक्यविचार

14.2.1 वाक्य : अर्थ एवं परिभाषा

14.2.2 वाक्य के अवयवः उद्देश्य और विधेय

14.2.3 वाक्य के प्रकार

14.2.3.1 रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार

14.2.3.1.1 सरल या साधारण वाक्य

14.2.3.1.2 मिश्र रवाक्य

14.2.3.1.3 संयुक्त वाक्य

14.2.3.2 अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार

14.2.3.2.1 विधानार्थक वाक्य

14.2.3.2.2 निषेधवाचक वाक्य

14.2.3.2.3 आज्ञार्थक वाक्य

14.2.3.2.4 प्रश्नार्थक वाक्य

14.2.3.2.5 विस्मयादि बोधक वाक्य

14.2.3.2.6 इच्छाबोधक वाक्य

14.2.3.2.7 संदेहसूचक वाक्य

14.2.3.2.8 संकेतार्थक वाक्य

14.3 सारांश

14.4 बोध-प्रश्न

14.5 बोध प्रश्नों के उत्तर संकेत

14.6 परीक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

14.7 उत्तर संकेत

14.8 अध्ययन - सामग्री

## 14.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य है - वाक्य को परिभाषित करना, वाक्य-पृथक्करण के द्वारा शब्दों तथा वाक्यों का परस्पर संबंध जानना, पदबंधें, को विश्लेषित करना, रचना और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकारों को प्रस्तुत करना वाक्य - संरचनाओं की जानकारी से छात्रों को हिन्दी भाषा की प्रकृति से अवगत कराना आवश्यक है ।

## 14.1 प्रस्तावना

मनुष्य के भावों या विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति वाक्यों में होती है । भाषा में वाक्य संरचना का अपना विधान है । हर भाषा के उसे सजाने और संवारने के अपने नियम हैं । किन्तु भावाभिव्यक्ति में जो वाक्य जितना अधिक सहायक होगा, वह उतना ही प्रमाणशाली होगा । स्पष्टता, पाठक या श्रोता के सोये भावों को जगाने की सामर्थ्य, संक्षिप्तता, व्यर्थ शब्दों का अप्रयोग, साहित्यिक दृष्टि से मादुर्य - ये सब वाक्य - संरचना की अपनी विशेषताएँ हैं । जो वाक्य जितना ही कानों को सुख देगा; हृदय को आनन्दित करेगा; मस्तिष्क को संतुलित करेगा, वह उतना ही अच्छा समझा जाएगा । इस इकाई में आप समझेंगे कि वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रुप है । भाषा ध्वनि या अक्षर से वाक्य तक की विकास-यात्रा है ।

## 14.2 मूलपाठः वाक्य - विचार

प्रस्तुत इकाई का प्रतिपाद्य उपपाठों (14.2.1 से लेकर 14.2 तक) विभक्त किया जाता है जिनमें वाक्य-विन्यास का सोदाहरण विवेचन है । भाषा की वास्तविक इकाई वाक्य ही है । शब्द और अक्षर (या ध्वनि) तो केवल विश्लेषण के साधन हैं । भाषा सार्थक अभिव्यक्ति है । केवल शब्द और अक्षर (या ध्वनि) में विचार अथवा भाव के आदान-प्रदान की कोई सामर्थ नहीं है । वाक्य के अभाव में बात अधूरी रह जाती है । वाक्य ही भाषा को सुनिश्चित रुप प्रदान करता है ।

### 14.2.1 वाक्यः अर्थ एवं परिभाषा

डॉ. राम शंकर शुक्ल द्वारा संपादित "भाषा-शब्द-कोष" में कहा गया है कि "वाक्य (संज्ञा, पु., सं.) वह पद या शब्द-समूह जिससे किसी श्रोता को वक्ता का अभिप्राय सूचित हो और कोई आकांक्षा शेप न रहे ।" विश्वनाथ ने "साहित्य दर्पण" में कहा है कि योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से युक्त पद-समूह वाक्य है ।

**योगयता**

पदों के अर्थबोधन का सामर्थ्य 'योग्यता' है । जब वाक्य का प्रत्येक पद या शब्द अर्थबोधन में सहायक हो तो समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता विद्यमान है। जैसे :

"किसान लाठी से खेत जोतता है ।" इस वाक्य में योग्यता का अभाव खटकता है । 'लाठी' के स्थान पर 'हल' का प्रयोग होता तो वाक्य में योग्यता होती।

**आकांक्षा**

वाक्य के एक पद को सुनने या जानने की जो स्वाभाविक इच्छा जागती है, उसे आकांक्षा कहते हैं । प्रदविशेष के प्रयोग से आकांक्षा की पूर्ति होती है । जैसे:

"सबेरे-सबेरे झगड़ा करने से ............
झगड़ा करते बीतता है ।"
(यह पथ बन्धु था - नरेश मेहता)

इस वाक्य को सुनकर हम प्रश्न करते हैं - "क्या बीतता है ?" तो 'पूरा दिन' कहने से प्रश्न का उत्तर मिल जाता है । इस वाक्य में उद्देश्य (पूरा दिन) की आकांक्षा थी । 'पूरा दिन' - इस पदविशेष के प्रयोग से आकांक्षा की पूर्ति होती है।

**आसत्ति**

"आसत्ति" का शाब्दिक अर्थ है - सामीप्य, निकटता वाक्य में आसत्ति का तत्पर्य है - अर्थ - बोध के लिए बिना व्यवधान के एक दूसरे से संबंध रखनेवाले दो पदों का पास-पास रहना और पारस्परिक अर्थ को स्पष्ट रुप से व्यक्त करना। डॉ. वासुदेव नन्दन प्रसाद ने 'आसत्ति' को 'क्रम' माना है । उनके अनुसार - 'क्रम' आकांक्षा और योग्यता के विधान को पूर्णता प्रदान करता है । वाक्यों में प्रयुक्त

पदों या शब्दों की विधिवत् स्थापना को 'क्रम' कहते हैं । जैसे - 'रोटी मैं ने खाई।' यह वाक्य ठीक नहीं है । क्योंकि 'रोटी' शब्द को 'मैंने' के बाद आना चाहिए ।'

**'वाक्य' की परिभाषा'**

वाक्य-लक्षण को परखते हुए विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाएँ दी हैं :

1) एक विचार पूर्णता से प्रगट करनेवाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं ।
   (पं.कामता प्रसाद गुरु)

2) सामान्य तौर पर वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है, जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं ।
   (डॉ. वासुदेव नन्दन प्रसाद)

3) आदमी के विचारों और भावों को पूर्ण रुप से प्रकट करनेवाले शब्द-समूह को वाक्य कहते हैं ।
   (डॉ. हरिवंश तरुण)

4) पदों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसके अंत में क्रिया रहकर उसके अर्थ को पूर्ण करती है । वाक्य में प्रत्येक कारक न चाहिए; परन्तु कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता ।
   (भाषा भास्कर - पाद्री एथरिंगटन)

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वाक्य ही भाषा की वास्तविक इकाई है । वाक्य में भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है ।

## 14.2.2 वाक्य के अवयवः उद्देश्य और विधेय

रुप की दृष्टि से वाक्य के साथ व्याकरण का निकट संबंध है । वैसा ही, अर्थ के विचार से, न्यायशास्त्र का भी घना संबंध है । न्यायशास्त्र के अनुसार वाक्य नें तीन बातें होनी चाहिए - दो पद और एक विधानचिह्न । दोनों पदों को क्रमशः उद्देश्य और विधेय तथा विधानचिह्न को संयोजक कहा जाता है । वाक्य पृथक्करण की दृष्टि से वाक्य के मुख्य अवयव हैं - उद्देश्य और विधेय ।

### उद्देश्य

जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है, उसे सूचित करनेवाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं; जैसे -

"आत्मा अमर है ।

घोड़ा दौड़ रहा है ।

प्रेमचंद ने गोदान लिखा है ।"

इन वाक्यों में आत्मा, घोड़ा, प्रेमचंद ने उद्देश्य हैं । क्योंकि इनके विषय में कुछ कहा गया है अथवा विधान किया गया है ।

### विधेय

उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है, उसे सूचित करनेवाले शब्दों को विधेय कहते हैं । जैसे - ऊपर लिखे वाक्यों में आत्मा, घोड़ा, प्रेमचंद ने - इन उद्देश्यों के विषय में क्रमशः अमर है, दौड़ रहा है, गोदान लिखा है - ये विधान किये गए हैं; इसलिए इन्हें विधेय कहते हैं ।

## 14.2.3 वाक्य के प्रकार

वाक्यों के वर्गीकरण के आधार मुख्यतः दो हैं - (i) रचना या स्वरुप और (ii) अर्थ । रचना या स्वरुप की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं -

क) सरल या साधारण वाक्य

ख) मिश्रवाक्य

ग) संयुक्त वाक्य

अर्थ की दृष्टि से वाक्य के आठ भेद हैं जिन पर आगे विचार किया जाएगा।

### 14.2.3.1 रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार

कहा जा चुका है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार हैं । इन तीनों प्रकारों की अपनी स्वरुपगत विशेषताएँ हैं । साधारण नियम यह है कि वाक्य के आदि में कर्ता और अंत में क्रिया को रखना चाहिए । कर्ता और कर्म के बीच अधिकरण, अपादान, संप्रदान और करण कारक क्रम से आते हैं । जैसे - "मोहन ने स्कूल में कुएँ से श्याम के लिए बाल्टी से पानी निकाला ।"

### 14.2.3.1.1 सरल या साधारण वाक्य

पं. कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में - "जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं । सरल वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं; यथा -

सीता पढ़ती है ।

पूजा खाट पर सोती है ।

वे ईश्वर की उपासना में लीन थे । डॉ. हरदेव बाहरी का कहना है कि जिस वाक्य में एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं । सरल वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं; जैसे -

राम, लक्ष्मण और सीता वन गए ।

निम्नलिखित वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण हैं । यथा -

i) आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे ।

ii) जबरा उसके मुँह की ओर प्रेम से छलकती हुई आँखों से देखा ।

iii) हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था ।

iv) अकर्मव्यता ने रस्सियों की भाँति उसे चारों तरफ़ से जकड़ रखा था ।

v) हल्कू राख को कुरेदकर अपनी ठण्डी देह को गमनि लगा। (पूस की रात - प्रेमचन्द)

### सरल वाक्य का विश्लेषण

इसमें वाक्य का उद्देश्य, उद्देश्य का विस्तार, विधेय और उसका विस्तार होते हैं । यदि क्रिया सकर्मक हो तो कर्म और उसका विस्तार भी दिखाना पड़ता है । विश्लेषण के कुछ उदाहरण :

1) पानी बरसा ।

2) आधी रात हो गई थी ।

3) विद्वान् को सदा धर्म की चिंता करनी चाहिए ।

अ आ

| उद्देश्य | उद्देश्य का विस्तार | विधेय | विधेय का विस्तार | कर्म | कर्म का विस्तार |
|---|---|---|---|---|---|
| पानी | | बरसा | | | |
| रात | आधी | हो गई थी | | | |
| विद्वान् को | | करनी चाहिए | सदा | धर्म की चिंता | |

### 14.2.3.1.2 मिश्र वाक्य

पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार - "जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवाय एक वा अधिक समापिका क्रियाएँ रहती हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं; जैसे - वह कौनसा मनुष्य है, जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो ।"

डॉ. वासुदेव नन्दन प्रसाद के शब्दों में - "जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंगवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं ।"

डॉ. हरिवंश तरुण के शब्दों में - "जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त एक अथवा एक से अधिक अंगवाक्य अथवा उपवाक्य हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं ।" यथा - वह कौन भारतीय है, जिसने गाँधीजी का नाम न सुना हो । यहाँ "जिसने................ सुना हो ।" आश्रित उपवाक्य है ।

**उपवाक्य**

ऐसा पदसमूह, जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हों, उपवाक्य कहलाता है । उपवाक्य के दो भेद हैं - मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य ।

**मुख्य उपवाक्य**

मिश्रवाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है, उसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं । यथा -

"क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया ?" इसमें "क्या मैं पूछ सकता हूँ" मुख्य उपवाक्य है ।

**आश्रित उपवाक्य**

मिश्र वाक्य में जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं । आश्रित उपवाक्य स्वयं सार्थक नहीं होता परन्तु मुख्य उपवाक्य के साथ आने से उसका अर्थ निकलता है । यथा - "मुझे आशा है कि आप अवश्य आयेंगे ।" इस मिश्रवाक्य में "आप अवश्य आयेंगे ।" आश्रित उपवाक्य है ।

## आश्रित उपवाक्य के भेद

आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं - संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रियाविशेषण उपवाक्य ।

### I) संज्ञा उपवाक्य

जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो, उसे संज्ञा उपवाक्य क[illegible] हैं । जैसे -

"राम ने कहा कि मैं पढ़ूँगा ।"

यहाँ मुख्य उपवाक्य "राम ने कहा" में कर्म अपेक्षित है - क्या कहा ? "मैं पढ़ूँगा" मुख्य उपवाक्य का कर्म है, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य है ।

निम्नलिखित अर्थों में संज्ञा उपवाक्य प्रयुक्त होते हैं - उद्देश्य, कर्म, पूर्ति और समानाधिकरण शब्द ।

**i) उद्देश्य**

इससे जान पड़ता है कि "बुरी संगति का फल बुरा होता है ।"

**ii) कर्म**

वह जानता भी नहीं कि "धर्म किसे कहते हैं ।"

**iii) पूर्ति**

मेरा विचार है कि "हिन्दी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूँ ।"

**iv) समानाधिकरण शब्द**

यह विश्वास दिन पर दिन बढ़ता जाता है कि "मरे हुए मनुष्य इस संसार में लौट आते हैं ।"

संज्ञा उपवाक्य केवल मुख्य विधेय का कर्म नहीं होता, किंतु मुख्य उपवाक्य में आनेवाले कृदंत का भी कर्म हो सकता है । जैसे :

"आप यह सुनकर प्रसन्न होंगे कि इस नगर में अब शांति है ।"

### विशेषण उपवाक्य

जो आश्रित उपवाक्य विशेषण का काम दे, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं । जैसे -

"वह आदमी, जो कल भी आया था, बाहर खड़ा है ।" इस मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य के "आदमी" का विशेषण है "जो कल भी आया था ।" इसलिए यह विशेषण उपवाक्य है । विशेषण उपवाक्य का प्रयोग निम्नलिखित है :

i) उद्देश्य के साथ

क) जो सोया उसने खोया

ख) जो गरजते हैं वे बरसते नहीं ।

ii) कर्मके साथ

ग) वह ऐसी बातें कहता है, जिनसे सब को बुरा लगता है ।

घ) वहाँ जो कुछ देखने योग्य था, मैं ने सब देख लिया.।

iii) पूर्ति के साथ

च) ऐसा कोई आदमी नहीं था, जिसने इस खेल की सराहना न की हो ।

छ) वह कौन-सा मनुष्य है, जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो।

iv) विधेयविस्तारक के साथ

ज) आप उस अपकीर्ति पर ध्यान देते, जो बालहत्या के कारण सारे संसार में होती है ।

झ) उन्होंने जो कुछ दिया उसीसे मुझे परम संतोष है ।

**क्रियाविशेषण उपवाक्य**

जो आश्रित उपवाक्य क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त हो, उसे क्रियाविशेषण उपवाक्य कहते हैं । क्रियाविशेषण उपवाक्य कहते हैं । क्रियाविशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है । वह मुख्य उपवाक्य की क्रिया की काल, स्थान, रीति, परिमाण संबंधी विशेषताएँ प्रकट करता है । यथा-

i) क्रिया की विशेषता

'जो आप आज्ञा देवें' तो हम जन्मभूमि देख आवें । (आपके आज्ञा देने पर)

ii) विशेषण की विशेषता

इन नदियों का पानी इतना ऊँचा पहुँच जाता है कि बड़े बड़े पूर आ जाते हैं । (बड़े बड़े पूर आने के योग्य)

iii) क्रियाविशेषण की विशेषता

गाड़ी इतने धीरे चली कि शहर के बाहर दिन निकल आया (शहर के बाहर दिन निकलने के समय तक)

पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्रियाविशेषण उपवाक्य के पाँच प्रकार हैं - कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और कार्यकारणवाचक। यथा :

क) कालवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य

i) जब पानी बरसता है तब मेंढक टर्राने लगते हैं । (निश्चित काल)

ii) जब तक मैं न आऊँ, यहाँ बैठे रहना । (कालावस्थिति)

iii) जब जब मुझे काम पड़ा, तब तब आपने सहायता दी । (संयोग का पौनःपुत्य)

ख) स्थानवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य

i अ) जहाँ अभी समुद्र है, वहाँ किसी समय जंगल था । (स्थिति)

आ) जहाँ सुमति तहँ संपति नाना । (स्थिति)

ii जहाँ से शब्द आता था वहाँ से एक सवार आता हुआ दिखाई दिया । (गति का आरंभ)

iii जहाँ तुम गए थे वहाँ गणेश भी गया था । (गति का अंत)

'जहाँ' का अर्थ कभी-कभी काल होता है । जैसे :- "यात्रा में जहाँ पहले दिन लगते थे वहाँ अब घंटे लगते हैं ।"

"जहाँ तक" परिमाणवाचक भी होता है । जैसे :- "जहाँ तक हो सके टेढ़ी गलियाँ सीधी कर दी जाएँ ।"

ग) रीतिवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य

i) दोनों वीर ऐसे टूटे, जैसे हाथियों के यूथ पर सिंह टूटे । (समता)

ii) जैसे आप बोलते हैं वैसे मैं नहीं बोल सकता । (बिषमता)

घ) परिमाणवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य

परिमाणवाचकक क्रियाविशेषण उपवाक्य से अधिकता, तुल्यता, न्यूनता, अनुपात आदि का बोध होता है । जैसे :-

i) ज्यों ज्यों भीजै कामरी, त्यों त्यों भारी होय ।

ii) जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, वैसे खर्च भी बढ़ता जाता है ।

iii) उसने वैसा ही किया, जैसा उसे बताया गया था ।

iv) जहाँ तक हो सके, यह काम अवश्य करना ।

v) जितनी दूर यह रहेगा, उतनी ही कार्यसिद्धि होगी ।

ङ) कार्य-कारणवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य

कार्य-कारणवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य निम्नलिखित अर्थों में प्रयुक्त होते हैं ।

i) वह इसलिए नहाता है कि ग्रहण लगा है । (हेतु वा कारण)

ii) यदि उनके मत के विरुद्ध कोई कुछ करता है तो वे उस तरफ़ बहुत कम ध्यान देते हैं । (संकेत)

iii) यद्यपि इस समय मेरी चेतना शक्ति मूर्छित सी हो रही हहै, तो भी वह दृश्य आँखों के सामने घूम रहा है । (विरोध)

iv) इस बात की चर्चा हमने इसलिए की है कि उसकी शंका दूर हो जाए । (कार्य वा निमित्त)

v) इन नदियों का पानी इतना ऊँचा पहुँच जाता है कि बड़े बड़े पूर आ जाते हैं। (पारिणाम वा फल)

### 14.2.3.1.3 संयुक्त वाक्य

पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार - "जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्रवाक्यों का मेल रहता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं । संयुक्त वाक्य के मुख्य वाक्यों को समानाधिकारण उपवाक्य कहते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के आश्रित नहीं रहते । यथा :-

i) संपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है और जाति द्वेष क्रमशः घटता जाता है । (दो साधारण वाक्य)

ii) सिंह में सूँघने की शक्ति नहीं होती; इसलिए जब कोई शिकार उसकी दृष्टि के बाहर हो जाता है, तब वह अपनी जगह को लौट आता है । (एक साधारण और एक मिश्रवाक्य)

iii) जब भाप जमीन के पास इकट्ठी दिखाई पड़ती है, तब उसे कुहरा कहते हैं, और जब वह हवा में कुछ ऊपर दीख पड़ती है,, तब उसे मेघ वा बादल कहते हैं । (दो मिश्रवाक्य)

मिश्रवाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्य एक दूसरे के समानाधिकरण हों तो उन्हें आश्रित समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं । इसके विरुद्ध संयुक्त वाक्य के सामानाधिकरण उपवाक्य मुख्य समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं ।

संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य रहते हैं और इन प्रधान उपवाक्यों के साथ बहुधा इनके आश्रित उपवाक्य भी रहते हैं ।

संयुक्त वाक्यों के समानाधिकरण उपवाक्यों में चार प्रकार का संबंध पाया जाता है - संयोजक, विभाजक, विरोधदर्शक और परिणामबोधक । यह संबंध समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्ययों के द्वारा सूचित होता है । जैसे :-

i) संयोजक

अ) मूँगा समुद्र में होता है और वह छत्ता बाँधकर बढ़ता रहता है ।

आ) विद्या से ज्ञान बढ़ता है, विचार-शक्ति प्राप्त होती है और मान मिलता है।

इ) पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं है, वरन् कई और पदार्थ भी हैं ।

ii) विभाजक

क) उन्हें न नींद आती थी; न भूख प्यास लगती थी ।

ख) मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं ही उसके पास जाऊँगा ।

ग) या तो आप स्वतः आइए या अपने नौकर को भेजिए ।

iii) विरोधदर्शक

च) कामनाओं के प्रबल हो जाने से आदमी दुराचार नहीं करते; किंतु अंतःकरण कके निर्बल हो जाने से वे वैसा करते हैं ।

छ) मैंने उसे बहुत समझाया; परंतु वह अपनी हठ पर अड़ा रहा ।

iv) परिणामबोधक

ट) मुझे उन लोगों का भेद लेना था, सो मैं वहाँ ठहरकर उनकी बातें सुनने लगा ।

ठ) आप से बहुत समय से भेंट नहीं हुई थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ।

ड) उसने मेरी बात नहीं मानी थी, इसलिए आज उसे ये आपत्तियाँ सहनी पड़ रही हैं ।

## संकुचित संयुक्त वाक्य

जब संयुक्त वाक्य के सामानाधिकरण उपवाक्यों में एक ही उद्देश्य अथवा एक ही विधेय या दूसरा कोई एक ही भाग बार बार आता है, तब उस भाग की पुनरुक्ति मिटाने के लिए उसे एकक ही बार लिखककर संयुक्त वाक्य को संयुचित कर देते हैं । चारों प्रकार के संयुक्त वाक्य संकुचित हो सकते हैं; जैसे :-

i) संयोजक

ग्रह और उपग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं = ग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं और उपग्रह सूर्य के आसापस घूमते हैं ।

ii) विभाजक

न उसमें पत्ते न फूल थे = न उसमें पत्ते थे न फूल थे ।

iii) विरोधदर्शक

इस समय वह गौतम के नाम से नहीं, वरन् बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ = इस समय वह गौतम के नाम से नहीं प्रसिद्ध हुआ, वरन् बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

iv) परिणामबोधक

पत्ते सूख रहे हैं; इसलिए पीले दिखाई देते हैं = पत्ते सूख रहे हैं; इसलिए वे पीले दिखाई देते हैं ।

संकुचितत संयुक्त वाक्यों की संरचना के अनुशीलन के उपरांत ये बातें द्रष्टव्य हैं:

1) दो या अधिक उद्देश्यों का एक ही उद्देश्य हो सकता है; जैसे :-
मनुष्य और कुत्ते सब जगहह पाये जाते हैं ।

2) एक उद्देश्य के दो या अधिक विधेय हो सकते हैं । जैसे :-
गर्मी से पदार्थ फैलते हैं और ठंढ से सिकुड़ते हैं ।

3) एक विधेय के दो या अधिक कर्म होओ सकते हैं । जैसे :-
पानी अपने साथ मिट्टी और पत्थर बहा ले जाता है ।

4) एकक विधेय की दो या अधिक पूर्तियाँ हो सकती हैं । जैसे :-
सोना सुंदर और कीमती होती है ।
एक विधेय के दो या अधिक विधेयविस्तारकक हो सकते हैं । जैसे :
वह मुनिवर अति संतुष्ट हो आशीर्वाद दे, वहाँ से उठ राजा भीष्मक के पास गया ।

6) एक उद्देश्य के कई उद्देश्यवर्धक हो सकते हैं । जैसे :-
बड़े और मजबूतत घोड़े बोझ ढोनेए के काम आते हैं ।

7) एक कर्म अथवा पूर्ति के अनेक गुणवाचक शब्द हो सकते हैं । जैसे :-
अ) सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती के पानी को जुदा करता है ।
आ) घोड़ा उपयोगी और साहसी जानवर है ।

### संक्षिप्त वाक्य

बहुधा वाक्यों में ऐसे शब्द, जो रचना में आवश्यक होने पर भी अपने अभाव से वाक्य के अर्थ में कोई हीनता उत्पन्न नहीं करते, छोड़ दिये जाते हैं । इस प्रकार के वाक्यों को संक्षिप्त वाक्य कहते हैं ।

किसी किसी विशेष वाक्य के साथ पूरे मुख्य उपवाक्य का लोप हो जाता है। जैसे :-

जो हो । आज्ञा । जैसा आप समझें ।

अन्य उदाहरण :

i) कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली ।

ii) साँच को आँच क्या ?

iii) मैं तेरी एक भी न सुनूँगा ।

iv) हमारी और उनकी नहीं बनती ।

v) वह बेपर की उड़ाता है ।

### 14.2.3.2 अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार

पिछले उपपाठ में रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों को सोदाहरण समझाया गया है । अर्थ के अनुसार वाक्यों के आठ भेद होते हैं । उनमें से संकेतार्थक वाक्य को छोड़कर, शेष सभी वाक्य तीनों प्रकार के हो सकते हैं । संकेतार्थक वाक्य मिश्र होते हैं ।

### 14.2.3.2.1 विधानार्थक वाक्य

जिस वाक्य से किसी बात का होना पाया जाय, वह विधानार्थक वाक्य कहलाता है । जैसे :

क) राजा नगर में आये । (साधारण वाक्य)

ख) जब राजा नगर में आये, तब आनंद मनाया गया । (मिश्र वाक्य)

ग) राजा नगर में आये और आनंद मनाया गया । (संयुक्त वाक्य)

### 14.2.3.2.2 निषेधवाचक वाक्य

जो वाक्य किसी बात का अभाव सूचित करता है, उसे निषेधवाचक कहते हैं । जैसे :

च) राजा नगर में नहीं आये । (साधारण वाक्य)

छ) जिस देश में राजा नहीं रहता, वहाँ की प्रजा को शांति नहीं मिलती । (मिश्र वाक्य)

ज) राजा नगर में नहीं आये; इसलिए आनंद नहीं मनाया गया ।

### 14.2.3.2.3 आज्ञार्थक वाक्य

जिस वाक्य से आज्ञा, विनती या उपदेश का अर्थ सूचित होता है, उसे आज्ञार्थख कहते हैं । जैसे :

ट) अपना काम देखे । (साधारण वाक्य)

ठ) जो काम तुम्हें दिया गया है, उसे देखो । (मिश्र वाक्य)

ड) बावचीत बंद करो और अपना काम देखो । (संयुक्त वाक्य)

### 14.2.3.2.4 प्रश्नार्थक वाक्य

जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न किये जाने का बोध हो, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं । जैसे :

त) क्या वह आदमी आया है ? (साधारण वाक्य)

थ) क्या तुम जानते हो कि वह आदमी कब आया ?

द) वह कब आया और कब गया ? (संयुक्त वाक्य)

### 14.2.3.2.5 विस्मयादिबोधक वाक्य

जो वाक्य विस्मय आदि भाव प्रकट करता है, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं । जैसे :

प) तुमने तो बहुत अच्छा काम किया ! (साधारण वाक्य)

फ) जो काम तुमने किया है, वह तो बहुत अच्छा है ! (मिश्र वाक्य)

ब) तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे उसकी खबर ही न दी ! (संयुक्त वाक्य)

### 14.2.3.2.6 इच्छाबोधक वाक्य

जिस वाक्य से इच्छा या शुभकामना का बोध हो, उसे इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं । जैसे :

य) भगवान् तुम्हें दीर्घायु करे । (साधारण वाक्य)

र) वह जहाँ रहे, वहाँ सुख से रहे । (मिश्र वाक्य)

ल) भगवान्, मैं सुखी रहूँ और मेरे समान दूसरे भी सुखी रहें । (संयुक्त वाक्य)

### 14.2.3.2.7 संदेहसूचक वाक्य

जो वाक्य संदेह या संभावना प्रकट करता है, उसे संदेहसूचक वाक्य कहते हैं । जैसे :

व) मोहन स्कूल गया होगा । (साधारण वाक्य)

श) जो चिट्ठी मिली है, वह श्याम ने लिखी होगी । (मिश्र वाक्य)

ष) नौकर वहाँ से चला होगा और सिपाही वहाँ पहुँचा होगा (संयुक्त वाक्य)

### 14.2.3.2.8 संकेतार्थक वाक्य

जिसमें एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं । संकेतार्थक वाक्य से संकेत या शर्त प्रकट होती है । जैसे :

स) बादल छाता तो पानी बरसता ।

ह) धूप निकलती तो मैं बाहर आना ।

क्ष) पानी न बरसता तो घान सूख जाता ।

त्र) जो मैं आपको पहले जानता, तो आपका विश्वास न करता ।

## 14.3 सारांश

इस इकाई में आपने वाक्य-विचार के बारे में पढ़ा है । इस इकाई के प्रमुख अंश इस प्रकार हैं :

- उपवाक्य वह है जो योजक के द्वारा किसी अन्य वाक्य से जुड़ा रहता है ।
- जिस वाक्य के सभी उपवाक्य समानाधिकरण योजक (या योजकों) से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं ।
- जिसका कोई उपवाक्य व्यधिकरण योजक से जुड़ा हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं।
- अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर हिन्दी वैयाकरणों ने आश्रित उपवाक्यों के तीन भेद किये हैं - संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रियाविशेषण उपवाक्य ।
- परस्पर संबंध रखनेवाले दो या अधिक शब्दों को, जिनसे पूरी बात नहीं जानी जाती, वाक्यांश (phrase) कहते हैं । जैसे : गाँव का गाँव, सच बोलना, मिट्टी का तेल - इत्यादि ।
- वाक्य और वाक्यांश में अर्थ और उप दोनों का अंतर रहता है । वाक्य में एक पूर्ण विचार रहता है; किंतु वाक्यांश में केवल एक वा अधिक भावनाएँ रहती हैं । रुप के अनुसार दोनों में यह अंतर है कि वाक्य में एक क्रिया रहती है; परंतु वाक्यांश में बहुधा कृदंत या संबंध सूचक अव्यय रहता है । जैसे : काम करना, सबेरे जल्दी उठना, नदी के किनारे - इत्यादि ।
- कुछ वैयाकरणों ने वाक्यांश को 'पदबंध' की संज्ञा दी है । पदबंध के भेद हैं - संज्ञा-पदबंध, विशेषण-पदबंध, सर्वनाम-पदबंध, क्रिया-पदबंध, कियाविशेषण-पदबंध
- संज्ञा-पदबंध के उदाहरण : आँख का इशारा, गोली से घायल बच्चा, काठ की पुतली, चीनी मिट्टी, घर का चिराग ।
- विशेषण - पदबंध के उदाहरण : ध्यान में मग्न, हाथ का साफ़, बात का धनी, सहन करने योग्य, काम में लगा हुआ ।
- सर्वनाम - पदबंध के उदाहरण : मुझ अभागे ने, भाग्य का मारा वह ।
- क्रिया-पदबंध के उदाहरण : लौटकर कहने लगा, जाता रहता था, कहा जा सकता है ।
- क्रिया विशेषण-पदबंध के उदाहरण : किसी न किसी तरह, दोपहर ढले, सुबह होते, भले ही, दिन चढ़े, दिया जले ।

## 14.4 बोध - प्रश्न

i) वाक्य किसे कहते हैं ?

ii) उपवाक्य किसे कहते हैं ?

iii) वाक्यांश या पदबंध को समझाइए ।

## 14.5 बोध - प्रश्नों के उत्तर संकेत

i) देखिए उपपाठ 14.2.1 ii) 14.2.3.1.2 iii) 14.3

## 14.6 परीक्षार्थ प्रश्नों के नमूने

अ) रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए ।

आ) अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकारों का सोदाहरण विवेचन किजिए ।

## 14.7 उत्तर संकेत

अ) देखिए उपपाठ 14.2.3.1, 14.2.3.1.1, 14.2.3.1.2, 14.2.3.1.2

आ) देखिए उपपाठ 14.2.3.2.1 से 14.2.3.2.8 तक ।

## 14.8 अध्ययन सामग्री


i) हिन्दी व्याकरण - पं. कामता प्रसाद गुरु ।

ii) भाषा भास्कर - पाद्री एथरिंगटन

iii) मानक हिन्दी व्याकरण और रचना - डॉ. हरिवंश तरुण

iv) आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना - डॉ. वासुदेव नन्दन प्रसाद

v) परिष्कृत हिन्दी व्याकरण - बदरीनाथ कपूर

# Unit - 15

# काल

## इकाई की रूपरेखा

15.0 उद्देश्य

15.1 पाठ परिचय

15.2 मूलपाठ - काल

15.3 काल के भेद

15.4 भूतकाल

15.4.1 सामान्य भूत

15.4.2 आसन्नभूत

15.4.3 पूर्णभूत

15.4.4 अपूर्णभूत

15.4.5 संधिग्धभूत

15.4.6 संभाव्यभूत

15.4.7 हेतुहेतुमद्भूत

15.5 वर्तमानकाल

15.5.1 सामान्य वर्तमानकाल

15.5.2 संदिग्ध वर्तमानकाल

15.5.3 संभाव्य वर्तमानकाल

15.5.4 अपूर्ण वर्तमानकाल

15.5.5 हेतुहेतुमद् वर्तमानकाल

15.6 भविष्यत्काल

15.6.1 सामान्य भविष्यत्काल

15.6.2 संभाव्य भविष्यत्काल

15.6.3 हेतुहेतुमद् भविष्यत्काल

15.7 अर्थ तथा उसके भेद

15.8 नमूने के प्रश्न

## 15.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

- ' काल ' एवं उसके प्रमुख भेदों से अवगत हो सकेंगे।
- भूतकाल एवं उसके प्रमुख भेदों से अवगत हो सकेंगे।
- वर्तमानकाल एवं उसके प्रमुख भेदों से अवगत हो सकेंगे।
- भविष्यत्काल एवं उसके प्रमुख भेदों से अवगत हो सकेंगे।
- ' अर्थ ' एवं उसके प्रमुख भेदों से अवगत हो सकेंगे।

## 15.1 पाठ परिचय

प्रस्तुत एकाई में ' काल ' एवं उसके प्रमुख भेदोपभेदों का सोदाहरण विवेचन किया जाएगा। साथ-ही-साथ 'अर्थ' तथा उसके भेदों पर भी प्रकाश डाला जाएगा जिसके अध्ययन से विद्यार्थी 'काल' तथा 'अर्थ' को सुगमता से समझ सके।

## 15.2 मूलपाठ - काल

क्रिया के उस रूप को ' काल ' कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार का समय और उसकी पूर्ण तथा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। अर्थात् क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है, 'काल' कहते हैं।

## 15.3 काल के भेद

क्रिया के समय अथवा उसकी अवस्था के आधार पर काल के प्रमुख तीन भेद होते हैं। यथा -

**१ भूतकाल** **२ वर्तमानकाल** **३ भविष्यत्काल**

हम निम्नलिखित उदाहरणों के आधार पर इन प्रमुख कालों के भेदों के अंतर को बड़ी आसानी के साथ पहचान सकते हैं। उदा -

१ प्रेमचंदजी कथासम्राट थे।

२ डॉ. भगवतीशरणजी मिश्र कथाकार हैं।

३ मोहनजी कथाकार होंगे।

अथवा

१ वह गया था।

२ वह जाता है।

३ वह जाएगा।

इन उपर्युक्त वाक्यों में - थे, हैं, और होंगे ' ये सभी ' होना क्रिया के भिन्न-भिन्न रूपों में प्रयुक्त हुए हैं जिनसे क्रिया के काल संबंधी जानकारी प्राप्त होती है।

उदाहरणस्वरूप दिये हुए ऊपर के ' थे ' शब्द से बीते हुए समय का बोध होता है जिसे व्याकरण में ' भूतकाल ' कहा जाता है।

' हैं ' से वर्तमान समय का बोध होता है जिसे ' वर्तमानकाल ' कहा जाता है।

'होंगे' शब्द के प्रयोग से आनेवाले समय का अर्थ प्रकट होता है जिसे 'भविष्यत्काल' कहा जाता है।

इन उदाहरणों के आधार पर कह सकते हैं कि एक ही क्रिया के भिन्न-भिन्न तीन रूपों से समय के तीन विभागों का बोध होता है, वे तीन ही - भूतकाल, वर्तमानकाल और भविष्यत्काल हैं।

उसी तरह ' गया था ' भूतकाल के अंतर्गत आएगा, ' जाता है ' वर्तमानकाल कहलाएगा और ' जाएगा ' क्रिया से आगे आनेवाले समय का बोध होता है। अतः इसे भविष्यत्काल कहा जाता है। अब आगे हम इन कालों की परिभाषाएँ तथा उसके भेदोपभेदों का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

## 15.4 भूतकाल

क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, उसे ' भूतकाल ' कहते हैं। ' भूतकाल ' के मुख्यतः सात भेद हैं -

१ सामान्यभूत　　２ आसन्नभूत　　३ पूर्णभूत

४ अपूर्णभूत　　५ संदिग्धभूत　　६ संभाव्यभूत　और

७ हेतुहेतुमद्‌भूत।

## 15.4.1 सामान्य भूत

सामान्यभूत वाले वाक्यों में प्रयुक्त क्रियापदों से बीते हुए समय का तो बोध होता है किन्तु इसमें यह पता नहीं चलता कि क्रिया कब समाप्त हुई अर्थात् क्रिया को समाप्त हुए कितना समय बीत चुका है।

उदा -

१ गाँधीजी गये।

२ राम ने उपन्यास लिखा।

३ मोहन आया।

इन उदाहरणों से यह पता नहीं चलता कि गाँधीजी को गये हुए अथवा उपन्यास को लिखे हुए या मोहन को आए हुए कितना समय बीत चुका है या अभी-अभी ये कार्य सम्पन्न हुए हैं।

भूतकाल के इस भेद में क्रिया सामान्यतः लिंग और वचन के अनुसार भूतकालिक आकारांत, इकारांत और एकारांत में परिवर्तित होती है और इस क्रिया के आगे सहायक क्रिया जैसे - है, हैं, था, थी, थे आदि का प्रयोग नहीं होता।

## 15.4.2 आसन्नभूत

भूतकाल का दूसरा भेद आसन्नभूत कहलाता है जिसमें प्रयुक्त क्रिया द्वारा यह पता चलता है कि कार्य को संपन्न हुए अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ अपितु कार्य अभी-अभी संपन्न हुआ है। इसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है -

जिस भूतकाल से यह पता चले कि क्रिया को समाप्त हुए अभी बहुत काल नहीं हुआ है, उसे आसन्नभूत कहते हैं। दूसरे शब्दों में - क्रिया का जो व्यापार भूतकाल में आरंभ हुआ था, वह वर्तमानकाल में समाप्त हो गया है।

उदा- १ गांधीजी गये हैं।

२ राम ने उपन्यास लिखा है।

३ मोहन आया है।

आसन्नभूत में सामान्यतः क्रिया भूत में होती है और उसके आगे 'है, हैं' जोडा जाता है। आसन्नभूत के वाक्य में कर्म हो तो कर्ता के आगे 'ने' प्रत्यय लगाया जाता है और क्रिया 'कर्ता' के अनुसार न बदलकर 'कर्म' के अनुसार बदलती है। अर्थात् 'कर्म' एकवचन स्त्रीलिंग हो तो क्रिया भी एकवचन स्त्रीलिंग में होती है, यदि कर्म एकवचन पुल्लिंग में हो तो क्रिया भी एकवचन पुल्लिंग में होगी और कर्म बहुवचन स्त्रीलिंग में हो तो क्रिया बहुवचन स्त्रीलिंग में परिणत होगी और कर्म एकवचन स्त्रीलिंग में हो तो क्रिया भी एकवचन स्त्रीलिंग में ही परिणत होगी। तत्पश्चात् उसके आगे कर्म के वचनानुसार वर्तमानकाल की सहायक क्रिया 'है' या 'हैं' जोड़ा जाता है।

ध्यान रहे कि आसन्नभूत में क्रिया 'कर्ता' के अनुसार न बदलकर 'कर्म' के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है, जब वाक्य अकर्मक हो तब क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है, उसके बाद क्रिया के आगे कर्ता के वचन के अनुसार 'है' या 'हैं' जोड़ा जाता है।

सुगम अध्ययनार्थ आसन्नभूत के सकर्मक तथा अकर्मक के और कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं -

| **सकर्मक** | **अकर्मक** |
|---|---|
| १ राम ने कविता लिखी है। | राम आया है। |
| २ राम ने उपन्यास लिखा है। | राम सोया है। |
| ३ सीता ने उपन्यास लिखा है। | सीता सोयी है। |
| ४ सीता ने कविता लिखी है। | सीता आयी है। |
| ५ राम ने रोटी खायी है। | सीता गयी है। |
| ६ राम ने रोटियाँ खायी हैं। | राधा और सीता गयी हैं। |

७ राम ने पेढ़ा खाया है।

८ राम ने पेढ़े खाये हैं।

९ राम ने चिट्ठी लिखी है।

१० राम ने चिट्ठियाँ लिखी हैं।

११ राम ने विवाह किया है।

१२ राम ने शादी की है।

१३ राम ने किताब पढ़ी है।

१४ राम ने किताबें पढ़ी हैं।

१५ राम ने ग्रंथ लिखा है।

१६ राम ने ग्रंथ लिखे हैं।

१७ राम ने ग्रंथ पढ़ा है।

१८ राम ने कई ग्रंथ पढ़े हैं।

१९ सीता ने ग्रंथ पढ़ा है।

२० सीता ने कई ग्रंथ पढ़े हैं। आदि।

## 15.4.3 पूर्णभूत

पूर्णभूत वाले वाक्यों में प्रयुक्त होने वाली क्रिया भूत में होती है और वह भी कर्म के लिंग-वचनानुसार होती है तत्पश्चात् उसके अनुसार ही क्रिया के आगे था, थी, थीं, थे लगाया जाता है जिससे कि यह प्रतीत होता है कि क्रिया को पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका है।

पूर्णभूत यह क्रिया का वह रूप है जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया को पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका है। सामान्य भूतकाल की क्रिया के आगे कर्म के लिंग वचनानुसार 'था', 'थी', 'थे' जोड़ने से पूर्णभूतकाल की क्रिया बनती है जिससे यह जाना जाता है कि क्रिया का व्यापार बहुत पहले समाप्त हो चुका है।

| उदा - | सकर्मक | अकर्मक |
|---|---|---|
| | १ प्रेमचंद ने 'गोदान' उपन्यास लिखा था। | १ गीता गयी थी। |
| | २ प्रेमचंद ने 'गोदान' और 'निर्मला' उपन्यास लिखे थे। | २ लड़की गयी थी। |
| | ३ राम ने मोहन को चिट्ठी लिखी थी। | ३ लड़कियाँ गयी थीं। |
| | ४ राम ने मोहन को पत्र लिखा था। | ४ लड़का गया था। |
| | ५ सीता ने ग्रंथ पढ़ा था। | ५ लड़के गये थे। |
| | ६ सीता ने किताब पढ़ी थी। | |
| | ७ सीता ने किताबें पढ़ी थीं। | |
| | ८ राम ने विवाह किया था। | |
| | ९ राम ने शादी की थी। | |

इन उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर पूर्णभूत के निम्नलिखित लक्षण निर्धारित किये जा सकते हैं -

१ वाक्य में कर्ता होता है।

२ वाक्य सकर्मक हो तो कर्ता के आगे 'ने' प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अकर्मक वाक्यों में कर्ता के सामने 'ने' प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता।

३ भूतकालिक सकर्मक वाक्य में कर्ता के साथ जब ने लगता है तब कर्म के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया परिवर्तित होती है। यदि कर्म एकवचन पुल्लिंग हो तो क्रिया भी एकवचन पुल्लिंग में प्रयुक्त होगी अथवा कर्म बहुवचन पुल्लिंग हो तो क्रिया भी बहुवचन पुल्लिंग में होगी अथवा कर्म एकवचन स्त्रीलिंग में हो तो क्रिया भी एकवचन स्त्रीलिंग में होगी। उसके बाद क्रिया के आगे कर्म के लिंग-वचनानुसार 'था' 'थी' 'थीं' 'थे' जोड़ा जाता है। अकर्मक वाक्यों में क्रिया कर्ता के लिंग-वचनानुसार बदलती है।

## 15.4.4 अपूर्णभूत

अपूर्णभूतकाल से यह जाना जाता है कि क्रिया का जो व्यापार भूतकाल में हो रहा था, वह अभी समाप्त नहीं हुआ। अर्थात् अपूर्णभूत - यह क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चले कि क्रिया का व्यापार ( कार्यारंभ ) भूतकाल में हो रहा था किंतु यह ज्ञात न हो कि वह पूर्ण हुआ या नहीं। उसे ही ' अपूर्णभूत' कहते हैं।

अपूर्णभूतकाल में सामान्यतः कर्ता के लिंग-वचनानुसार क्रिया के आगे रहा था/ रही थी / रहे थे / रही थीं जोड़ देते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि क्रिया का जो व्यापार भूतकाल में हो रहा था, लेकिन यह मालूम नहीं कि वह पूर्ण हुआ है या नहीं।

**उदा -**

१ लड़का खेल रहा था।

२ लड़के खेल रहे थे।

३ लड़की खेल रही थी।

४ लड़कियाँ खेल रही थीं।

५ लड़की और लड़का खेल रहे थे।

उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर अपूर्णभूत के निम्नांकित लक्षण निर्धारित किये जा सकते हैं -

१ अपूर्णभूतकालिक वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता होता है।

२ अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कर्त्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है।

३ अपूर्ण भूतकालिक वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया के आगे - रहा था / रही थी/ रही थीं / रहे थे लगायां जाता है।

४ कर्ता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में ही परवर्तित होगी न कि स्त्रीलिंग बहुवचन में।

५ अपूर्णभूत में कर्ता के आगे ' ने ' प्रत्यय का प्रयोग कदापि नहीं होता।

## 15.4.5 संदिग्धभूत

संदिग्धभूतकाल से भूतकाल में क्रिया का व्यापार होने में अर्थात् क्रिया के संपन्न होने में संदेह का भाव प्रकट होता है। इस क्रिया से यह ज्ञात नहीं होता है कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो - यह क्रिया का वह रूप है जिसके प्रयोग से क्रिया के भूतकाल में समाप्त होने में संदेह पाया जाए।

**उदा -**

१ लड़की आयी होगी।

२ लड़कियाँ आयी होंगी।

३ लड़का आया होगा।

४ लड़के आये होंगे।

५ लड़कियाँ और लड़के आये होंगे।

६ राम ने कविता पढ़ी होगी।

७ राम ने उपन्यास पढ़ा होगा।

८ राम ने कविताएँ पढ़ी होंगी।

९ राम ने अनेक उपन्यास पढ़े होंगे।

१० राम और सीता ने कविताएँ पढ़ी होंगी।

११ राम और सीता ने कई ग्रंथ पढ़े होंगे।

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि -

१ संदिग्ध भूतकालिक वाक्यों के अकर्मक वाक्यों में कर्ता के आगे 'ने' प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता।

२ संदिग्ध भूतकालिक वाक्यों के सकर्मक वाक्यों में कर्ता के साथ 'ने' प्रत्यय का प्रयोग होता है।

३ 'ने' प्रत्यय का प्रयोग होने के उपरांत भूत की क्रिया कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार परिवर्तित न होकर उस वाक्य में प्रयुक्त कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है। उसके बाद कर्ता के लिंग-वचनानुसार क्रिया के आगे - होगा / होगी / होंगे जोड़ देते हैं।

४ वाक्य में यदि कर्ता पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों हो तो भी कर्म के अनुसार ही क्रिया बदलेगी न कि कर्ता के अनुसार। तदुपरांत उसके आगे - होगा / होगी आदि जोड़ देते हैं।

## 15.4.6 संभाव्यभूत

संभाव्यभूत काल से भूतकाल में क्रिया का व्यापार अथवा कार्य के संपन्न होने की संभावना का भाव प्रकट होता है। अर्थात् यह क्रिया का वह रूप है जिससे भूतकाल में क्रिया ( कार्य ) के समाप्त होने की संभावना समझी जाए।

जैसे - १ संभवतः राम ने कविता पढ़ी हो।

२ कदाचित सीता घर गयी हो।

३ लड़की आयी हो।

४ लड़कियाँ आयी हों।

५ लड़का आया हो।

६ लड़के आये हों।

७ लड़कियाँ और लड़के आये हों।

८ राम ने उपन्यास पढ़ा हो।

९ राम ने कविताएँ पढ़ी हों।

१० राम ने अनेक उपन्यास पढ़े हों।

११ राम और सीता ने कविताएँ पढ़ी हों।

१२ राम और सीता ने कई ग्रंथ पढ़े हों।

इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि संभाव्य भूत संदिग्ध भूत जैसा ही होता है, संदिग्धभूत में क्रिया के आगे - ' होगा / होगी ' आदि जोड़ते हैं किन्तु संभाव्यभूत में क्रिया के आगे - होगा / होगी / होंगे ' आदि का प्रयोग न होकर केवल - हो / हों का ही प्रयोग होता है अर्थात् अंतिम - ' गा / गी / गे ' को छोड़ा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सामान्यभूतकालिक क्रिया के आगे पुरुष - लिंग एवं वचन के अनुसार - ' हो ', ' हों ' जोड़ने से संभाव्यभूतकालिक क्रिया बनती है। अर्थात् संदिग्धभूतवाले वाक्यों में से अंतिम ' गा / गी / गे '

को निकालने से जो शेष अंश बचता है, वह संभाव्यभूत का उदाहरण बन जाता है।

### 15.4.7 हेतुहेतुमद्भूत

हेतुहेतुमद्भूत से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का जो व्यापार ( कार्य संपन्न) भूतकाल में होनेवाला था वह किसी कारणवश नहीं हो सका। हेतुहेतुमद्भूत में सामान्यतः दो वाक्य आते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और दोनों वाक्यों की क्रिया का रूप भूतकालिक होता है।

दूसरे शब्दों में - हेतुहेतुमद्भूत - यह क्रिया का वह रूप है जिसमें बाद में होनेवाली क्रिया का हेतु पहली क्रिया हो।

जैसे - १ यदि आपने अच्छा कर्म किया होता तो अवश्य आपको अच्छा फल मिला होता।

२ यदि अच्छी वर्षा हुई होती तो अच्छी फसल भी हुई होती।

३ यदि तुमने व्याकरण का अध्ययन किया होता तो व्याकरणिक विषयों से अवश्य अवगत हुए होते।

४ यदि तुमने कहानी सुनाई होती तो यह अवश्य सुना होता।

हेतुहेतुमद्भूत के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं -

१ हेतुहेतुमद्भूत में प्रयुक्त होने वाले दोनों वाक्यों की क्रिया भूतकालिक होती है और परस्पर दोनों वाक्य एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं अर्थात् पहले वाक्य के व्यापार - ( कार्य ) के संपन्न न होने का कारण दूसरे वाक्य में दर्शाया जाता है।

२ हेतुहेतुमद्भूत में दोनों वाक्यों की भूतकालिक क्रिया के आगे सामान्यतः पुरुष-लिंग-वचनानुसार होता / होती आदि जोड़ देते हैं।

## 15.5 वर्तमानकाल

क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध होता है, उसे वर्तमानकाल कहते हैं। वर्तमानकाल के मुख्यतः पाँच भेद होते हैं -

१ सामान्य वर्तमानकाल　　२ संदिग्ध वर्तमानकाल

३ संभाव्य वर्तमानकाल　　४ अपूर्ण वर्तमानकाल

५ हेतुहेतुमद् वर्तमानकाल।

## 15.5.1 सामान्य वर्तमानकाल

सामान्य वर्तमानकाल - यह क्रिया का वह रूप होता है जिससे बोध होता है कि क्रिया ( कार्य ) की शुरुआत वक्ता के बोलने के समय से हो रही है। अर्थात् सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार (कार्यारंभ) वर्तमान में वक्ता के बोलने के समय से हो रहा है।

उदा - १ लड़का जाता है।

२ लड़की जाती है।

३ लड़कियाँ जाती हैं।

४ लड़के जाते हैं।

५ लड़की और लड़के जाते हैं।

सामान्य वर्तमानकाल में साधारणतया सामान्य क्रिया या मूलधातु के आगे पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार 'ता हूँ', 'ती हूँ', 'ते हैं' आदि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात् पुरुष, लिंग एवं वचन के अनुसार क्रिया के आगे 'ता / ती' ते आदि प्रत्यय लगाया जाता है।

## 15.5.2 संदिग्ध वर्तमानकाल

संदिग्ध वर्तमानकाल से क्रिया का व्यापार होने में संदेह का भाव प्रकट होता है। अर्थात् संदिग्ध वर्तमान यह क्रिया का वह रूप है जिससे वर्तमानकाल में कार्य के संपन्न होने में संदेह का भाव प्रकट होता है।

उदा - १ लड़का जाता होगा।

२ लड़के जाते होंगे।

३ लड़की जाती होगी।

४ लड़कियाँ जाती होंगी।

५ लड़कियाँ और लड़के जाते होंगे।

संदिग्ध वर्तमानकाल में सामान्यतः पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के आगे 'ता', 'ती', 'ते' आदि प्रत्यय जोड़कर तदनुसार ही उसके आगे 'होगा / होगी/ होंगी' आदि का प्रयोग किया जाता है।

## 15.5.3 संभाव्य वर्तमानकाल

संभाव्य वर्तमानकाल से क्रिया (कार्य) के संपन्न होने की संभावना का भाव प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में - संभाव्य वर्तमानकाल - यह क्रिया का वह रूप है जिससे वर्तमानकाल में क्रिया (कार्य) के संपन्न होने की संभावना पाई जाए।

जैसे - १ लड़का जाता हो।

२ लड़के जाते हों।

३ लड़की जाती हो।

४ लड़कियाँ जाती हों।

वर्तमानकाल के इस भेद में पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार (संदिग्ध वर्तमानकाल जैसे ही) सामान्यतः क्रिया के आगे 'ता, ती, ते' प्रत्यय लगाया जाता है। तत्पश्चात् केवल 'हो, हों' जोड़ा जाता है। अर्थात् संदिग्ध वर्तमानकाल में प्रयुक्त होने वाले 'होगा, होगी, होंगे, होंगी', में से 'गा, गी, गे' को छोड़कर शेष 'हो, हों' का ही प्रयोग किया जाता है जिससे कार्य के संपन्न होने की संभावना का भाव प्रकट होता है।

## 15.5.4 अपूर्ण वर्तमानकाल

अपूर्ण वर्तमानकाल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार वर्तमानकाल में जारी है अर्थात् कार्य आरंभ तो हो चुका है किंतु समाप्त नहीं हुआ है।

उदा- १ लड़का जा रहा है।

२ लड़के जा रहे हैं।

३ लड़की जा रही है।

४ लड़कियाँ जा रही हैं।

५ मैं जा रहा हूँ।

६ हम जा रहे हैं।

७ यह जा रहा है।

८ ये जा रहे हैं।

९ वह जा रहा है।

१० वे जा रहे हैं।

अपूर्ण वर्तमानकाल में पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार मूल धातु या सामान्य क्रिया के आगे 'रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं' का प्रयोग किया जाता है जिससे कार्य समाप्त न होने का अर्थात् कार्य के चलने का बोध होता है।

## 15.5.5 हेतुहेतुमद्वर्तमानकाल

यह क्रिया का वह रूप है जिससे जाना जाता है कि किसी क्रिया का होना वर्तमानकाल की किसी दूसरी क्रिया के समाप्त होने पर निर्भर है।

उदा- १ यदि वह हमें जानता हो, तो उसे यहाँ आने दो।

२ यदि तुम लिखते, तो मैं पढ़ता।

३ अगर आप कुछ सुनाते, तो मैं सुनता।

४ यदि वह बुलाता, तो मैं जाता।

इन अपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर हेतुहेतुमद्वर्तमान के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं -

१ हेतुहेतुमद्वर्तमानकाल में दो वाक्य या उपवाक्य प्रयुक्त होते हैं, दोनों का परस्पर संबंध होता है या यों कहिए कि दोनों एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं।

२ हेतुहेतुमद्वर्तमानकाल में प्रयुक्त होनेवाले दोनों वाक्यों की क्रिया सामान्यवर्तमानकाल की होती है। अर्थात् दोनों वाक्यों की मूलधातु के आगे लिंग - वचनानुसार 'ता, ती, ते' प्रत्यय लगाया जाता है।

## 15.6 भविष्यत्काल

क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्यारंभ होने का बोध होता है, उसे ' भविष्यत्काल ' कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो - भविष्यत्काल की क्रिया से ज्ञात होता है कि व्यापार का प्रारंभ होने वाला है, अभी हुआ नहीं।

भविष्यत्काल के प्रमुख तीन भेद हैं -

१ सामान्य भविष्यत्काल

२ संभाव्य भविष्यत्काल

३ हेतुहेतुमद् भविष्यत्काल।

### 15.6.1 सामान्य भविष्यत्काल

सामान्य भविष्यत्काल से यह बोध होता है कि क्रिया का व्यापार (कार्यारंभ) आने वाले समय में होने वाला है।

उदा- १ मैं जाऊँगा।

२ हम जाएँगे।

३ तू जायेगा।

४ तुम जाओगे।

५ आप जाएँगे।

६ यह जाएगा।

७ ये जाएँगे।

८ वह जाएगा।

९ वे जाएँगे।

इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि सामान्य भविष्यत्काल में कर्ता के बाद प्रयुक्त होने वाली मूलधातु के आगे लिंग, पुरुष एवं वचन के अनुसार 'ऊँगा / ऊँगी/ एगा / एगी / एँगे / एँगी ' प्रत्यय जोड़ने से सामान्य भविष्यत्काल बन जाता है जिससे बोध होता है कि आने वाले समय में कार्यारंभ होने वाला है।

### 15.6.2 संभाव्य भविष्यत्काल

संभाव्य भविष्यत् - यह क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा आने वाले समय में क्रिया का व्यापार ( कार्य आरंभ ) होने की संभावना का भाव प्रकट होता है।

जैसे- १ मैं जाऊँ।

२ हम जाएँ।

३ तू जाए।

४ तुम जाओ।

५ आप जाएँ।

६ यह जाए।

७ ये जाएँ।

८ वह जाए।

९ वे जाँएँ।

इन उदाहरणों के आधार पर कह सकते हैं कि संभाव्य भविष्यत्काल में सर्वप्रथम कर्ता आता है उसके बाद क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उसी क्रिया या मूलधातु के आगे कर्ता के लिंग वचनानुसार 'ऊँ, एँ, ए, और ओ' प्रत्यय लगाया जाता है। सामान्य भविष्यत् की क्रिया में से 'गा, गी, गे' को निकालने से जो शेष बचता है, वही संभाव्य भविष्यत्काल है।

### 15.6.3 हेतुहेतुमद् भविष्यत्काल

यह क्रिया का वह रूप है ज़िससे भविष्यत्काल में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर रहना पाया जाए।

उदा- १ मैं जाऊँ तो वह आए।

२ तुम लिखो तो मैं पढ़ूँ।

३ तुम बोलो तो मैं सुनूँ।

४ तुम गाओ तो मैं सुनूँ।

५ आप कहें तो मैं सुनूँ।

६ तुम लिखो तो वह पढ़े।

७ आप सुनाएँ तो वह सुने।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि हेतुहेतुमद् वर्तमान की तरह ही हेतुहेतुमद् भविष्य में भी दो वाक्यों या उपवाक्यों का प्रयोग होता है जोकि दोनों एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। ध्यान रहें कि हेतुहेतुमद् भविष्यत में प्रयुक्त होने वाले दोनों वाक्यों की क्रियाओं का रूप संभाव्य भविष्यत् की क्रिया का ही रूप होता है। अर्थात् इसमें भी क्रिया के आगे 'गा, गी, गे' का प्रयोग नहीं होता।

## 15.7 अर्थ तथा उसके भेद

क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति ज्ञात होती है, उसे 'अर्थ' कहते हैं। अर्थ के निम्नलिखित पाँच भेद होते हैं -

१ निश्चयार्थ

२ आज्ञार्थ

३ संदेहार्थ

४ संभावनार्थ और

५ संकेतार्थ

**१ निश्चयार्थ** - जिस क्रिया के प्रयोग से क्रिया (कार्य) के संपन्न होने का निश्चित अर्थ प्रकट होता है, उसे 'निश्चयार्थ' कहते हैं। इसमें संदेह का अभाव रहता है। यथा-

१ वह जाता है।

२ वह आया है।

३ उसने खाया है।

**२ आज्ञार्थ** - क्रिया के जिस रूप से आदेश अथवा आज्ञा देने का भाव प्रकट होता है, उसे 'आज्ञार्थ' कहते हैं।

उदा- १ तुम करो।

२ अब आप कीजिए।

३ आप लिखिए।

४ तुम सुनो।

**३ संदेहार्थ** - क्रिया के जिस प्रयोग से कार्य के संपन्न होने में संदेह का बोध होता है, उसे 'संदेहार्थ' कहते हैं। इसमें निश्चय का अभाव रहता है।

उदा- १ वह लिखता होगा।

२ वह सुनता होगा।

३ उन्होंने किया होगा।

४ वह गया होगा।

**४ संभावनार्थ** - क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने की संभावना का बोध होता है, उसे 'संभावनार्थ' कहते हैं।

उदा- १ विद्यार्थी ने बहुत मेहनत की है, अतः वह अवश्य उत्तीर्ण हो।

२ मेघ घिर आये हैं, संभव है वर्षा हो।

**५ संकेतार्थ** - जिस क्रिया के प्रयोग से कार्य के संपन्न होने के संकेत का बोध होता है, उसे 'संकेतार्थ' कहते हैं।

उदा- १ यदि वह जाता तो काम बन जाता।

२ आप भी उनके साथ गये होते तो क्या वह काम बनता।

## 15.8 नमूने के प्रश्न

1) 'काल' की परिभाषा देकर उसके प्रमुख भेद बतलाइए।

2) भूतकाल की परिभाषा देकर उसके प्रमुख भेदों को सोदाहरण समझाइए।

3) वर्तमानकाल की परिभाषा देकर उसके प्रमुख भेदों को सोदाहरण समझाइए।

4) भविष्यत्काल की परिभाषा देकर उसके प्रमुख भेदों को सोदाहरण समझाइए।

5) 'अर्थ' की परिभाषा देकर उसके प्रमुख भेदों को सोदाहरण समझाइए।

# Unit - 16
# स्वर और व्यंजन

## इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य

16.1 पाठ परिचय

16.2 स्वर और व्यंजन

    16.2.1 मूलपाठ स्वर

    16.2.2 व्यंजन - सामान्य परिचय

16.3 उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण

16.4 स्वर के भेद

16.5 स्वरों के प्रतिनिधि चिन्ह

16.6 बोध प्रश्न

## 16.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- स्वर की परिभाषा दे सकेंगे।
- स्वर के भेद बता सकेंगे।
- स्वर तथा व्यंजन के अंतर को समझ सकेंगे।
- स्वर का महत्व बता सकेंगे।
- उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर सकेंगे।

## 16.1 पाठ परिचय

प्रस्तुत इकाई में स्वर व्यंजन की परिभाषा दी जाएगी। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, महत्व एवं उसके भेदोपभेदों को सोदाहरण समझाया जाएगा जिसके अध्ययन से आप स्वरों की विशेषताएँ पहचानने में सक्षम होंगे।

## 16.2 स्वर और व्यंजन

मनुष्य अपने मन में उठे हुए विचारों को दूसरे मनुष्य के सम्मुख प्रकट करने के लिए या आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए अथवा किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए भाषा जैसे सशक्त माध्यम को अपनाता है। भाषा की सहायता से ही वह अपने विचारों को सुस्पष्ट रूप से दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर सकता है या अपने विचारों का आदान - प्रदान कर सकता है। अतः भाषा को विचारों का आदान-प्रदान करने का सशक्त माध्यम माना जाता है। भाषा में अनेक वाक्य होते हैं, वाक्यों में अनेक शब्द और शब्दों में अनेक ध्वनियाँ। कथित भाषा की लघुतम इकाई ' ध्वनि ' है और लिखित भाषा की लघुतम इकाई ' अक्षर ' है जिसे 'वर्ण' भी कहा जाता है। 'वर्णों' के समूह को 'वर्णमाला' कहा जाता है जिसके दो भेद होते हैं - 'स्वर' और 'व्यंजन'।

**16.2.1 मूलपाठ - स्वर :-** जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु फेफड़ों से निकलकर अबाध गति से बाहर जाती है, अर्थात जीभ, दाँत या होंठ कहीं स्पर्श नहीं करते, उन्हें ' स्वर ध्वनियाँ ' कहते हैं। दूसरे शब्दों में - जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए वाग्यंत्र के अवयवों की सहायता नहीं ली जाती उन्हें 'स्वर ध्वनियाँ' कहते हैं।

**यथा :-** अ, आ, इ, ई, उ, ऊ आदि।

हिन्दी में ग्यारह स्वर ध्वनियाँ हैं। जैसे - अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इनके अतिरिक्त दो और स्वर ध्वनियाँ हैं - 'अं' और 'अः' जिन्हें कुछ विद्वान स्वर ध्वनियाँ नहीं मानते। किन्तु वास्तविकता यह है व्यंजन ध्वनियाँ स्वर ध्वनियों की सहायता से बनते हैं जबकि - 'अं' ध्वनि अनुस्वार से बनी है और 'अः' ध्वनि 'ः' विसर्ग से। व्यंजन ध्वनियों में पहले व्यंजन ध्वनि प्रयुक्त होती है तत्पश्चात स्वर ध्वनि। यथा -

क् + अ = क

ग् + अ = ग आदि।

अनुस्वारयुक्त तथा विसर्गयुक्त स्वर ध्वनियाँ इस तरह दृष्टिगोचर होंगी -

अ + ं = अं

अ + ः = अः

इस आधार पर इन्हें कह सकते हैं कि अनुस्वारयुक्त स्वर ध्वनि तथा विसर्गयुक्त स्वर ध्वनि जिन्हें मिलाने से स्वरों की संख्या १३ होंगी।

## 16.2.2 व्यंजन - सामान्य परिचय :-

जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलनेवाली वायु कुछ क्षण के लिए कहीं रुककर तत्पश्चात बाहर निकलती है, उन्हें 'व्यंजन ध्वनियाँ' कहते हैं। दूसरे शब्दों में - जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए वाग्यंत्र के अवयवों की सहायता अनिवार्य होती है, उन्हें 'व्यंजन ध्वनियाँ' कहते हैं। जबकि स्वर ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है तो व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण स्वर ध्वनियों की सहायता से। अर्थात् बगैर स्वर की सहायता के व्यंजन ध्वनि बन ही नहीं सकती। अतः कह सकते हैं कि व्यंजन की अपेक्षा स्वर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यंजन शरीर है तो स्वर उस व्यंजन को जीवित करनेवीली आत्मा क्योंकि स्वरों का प्रयोग व्यंजन ध्वनि के साथ अनिवार्य है।

यथा:-

क् + अ = क

ख् + अ = ख

क् + आ = का

ख् + आ = खा आदि।

हिन्दी में व्यंजन ध्वनियों की कुल संख्या तैंतीस है -

क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न

प फ ब भ म 25

| | | |
|---|---|---|
| य र ल व | 04 | |
| श ष स ह | 04 | |
| | योग | 33 |

## 16.3 उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण

उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर ध्वनियों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं -

1) कंठ्य स्वर ध्वनियाँ (कंठ से उच्चरित) - अ, आ और अः

2) तालव्य स्वर ध्वनियाँ (तालु से उच्चरित) - इ, ई।

3) मूर्धन्य (मूर्धा से उच्चरित) - ॠ।

4) ओष्ठ्य (ओठों से उच्चरित स्वर ध्वनियाँ) - उ, ऊ।

5) अनुनासिक (नाक तथा मुँह से उच्चरित) - अं।

6) कंठ-तालव्य (कंठ और तालु से उच्चरित) - ए, ऐ।

7) कंठोष्ठ्य (कंठ और ओठों की सहायता से उच्चरित) - ओ, औ।

## 16.4 स्वर के भेद

उच्चारण-काल के आधार पर स्वर ध्वनियों के दो भेद होते हैं - ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर।

**ह्रस्व स्वर :-** ह्रस्व स्वरों को मूलस्वर भी कहा जाता है जिसका उच्चारण करने के लिए कम समय लगता है।

यथा - अ, इ, उ, ऋ।

**दीर्घ स्वर:-** दीर्घ स्वरों के उच्चारण के लिए ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुणा समय लगता है। दीर्घ स्वर सजातीय स्वरों के मेल से अथवा विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं, जिन्हें ' संधि स्वर ' भी कहा जाता है।

**सजातीय स्वरों के मेल से बने हुए दीर्घ स्वर -**

अ + अ = आ

इ + इ = ई

उ + उ = ऊ

**विजातीय स्वरों के मेल से बने हुए दीर्घ स्वर -**

अ + इ = ए

आ + ए = ऐ

अ + उ = ओ

आ + ओ = औ

विजातीय स्वरों के मेल से बने हुए उपर्युक्त इन स्वरों को 'संयुक्त स्वर' भी कहते हैं।

## 16.5 स्वरों के प्रतिनिधि चिन्ह

जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि स्वर ध्वनियाँ स्वतंत्र होती हैं, व्यंजन ध्वनियाँ स्वतंत्र नहीं होतीं। व्यंजन ध्वनियों में स्वर ध्वनियाँ निहित होती हैं। अर्थात् व्यंजन ध्वनियों के साथ विभिन्न उच्चारणों के लिए स्वर ध्वनियाँ जोड़ी जाती हैं। स्वर का रूप व्यंजन ध्वनियों से मिलने के पश्चात रूपांतरित हो जाता है, उस रूपांतरित रूप को मात्रा कहा जाता है। प्रत्येक स्वर की अपनी-अपनी मात्रा या प्रतिनिधि चिन्ह होता है जो कि इस प्रकार है -

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ (स्वर)

ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ (स्वरों की मात्राएँ)

**सूचना :-**

1) 'अ' की कोई मात्रा या प्रतिनिधि चिन्ह नहीं है।

2) जब अनुस्वार और विसर्ग (अं, अः) व्यंजन ध्वनियों के साथ जुड़ जाते हैं

तब ये अनुस्वार तथा विसर्ग चिन्ह क्रमशः व्यंजन ध्वनियों के ऊपर (कं) तथा व्यंजन ध्वनि के पश्चात् प्रयुक्त होते हैं। जैसे - कः।

3) व्यंजनों के साथ जब स्वर की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, तब 'बाराखड़ी' बनती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि 'अ' स्वर ध्वनि की कोई प्रतिनिधि मात्रा नहीं होती किंतु शेष स्वर ध्वनियों की मात्राएँ होती हैं जोकि संख्या में बारह हैं। ये स्वर ध्वनियाँ जब व्यंजन ध्वनियों के साथ मिल जाती हैं तब रूपांतरित हो जाती हैं, जिन्हें 'बारहखड़ी' कहते हैं।

उदा - क, का, कि, की, कु, कू के, कैं को, कौ कं, कः।

## 16.6 बोध प्रश्न

1) स्वर किसे कहते हैं ?

2) स्वर के भेद बतलाइए।

# NOTES

# NOTES

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕರಾಮುವಿ/ಅಸಾವಿ/4–060/2013–2014 ದಿನಾಂಕ : 24–09–2013
ಒಳಪುಟ : 60 GSM MPM ವೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಹೊರಪುಟ: 170 GSM ಆರ್ಟ್‌ಕಾರ್ಡ್
ಮುದ್ರಕರು : ಅಭಿಮಾನಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು–10 ಪ್ರತಿಗಳು : 1,200

# Karnataka State Open University

Manasagangotri Mysore - 570 006

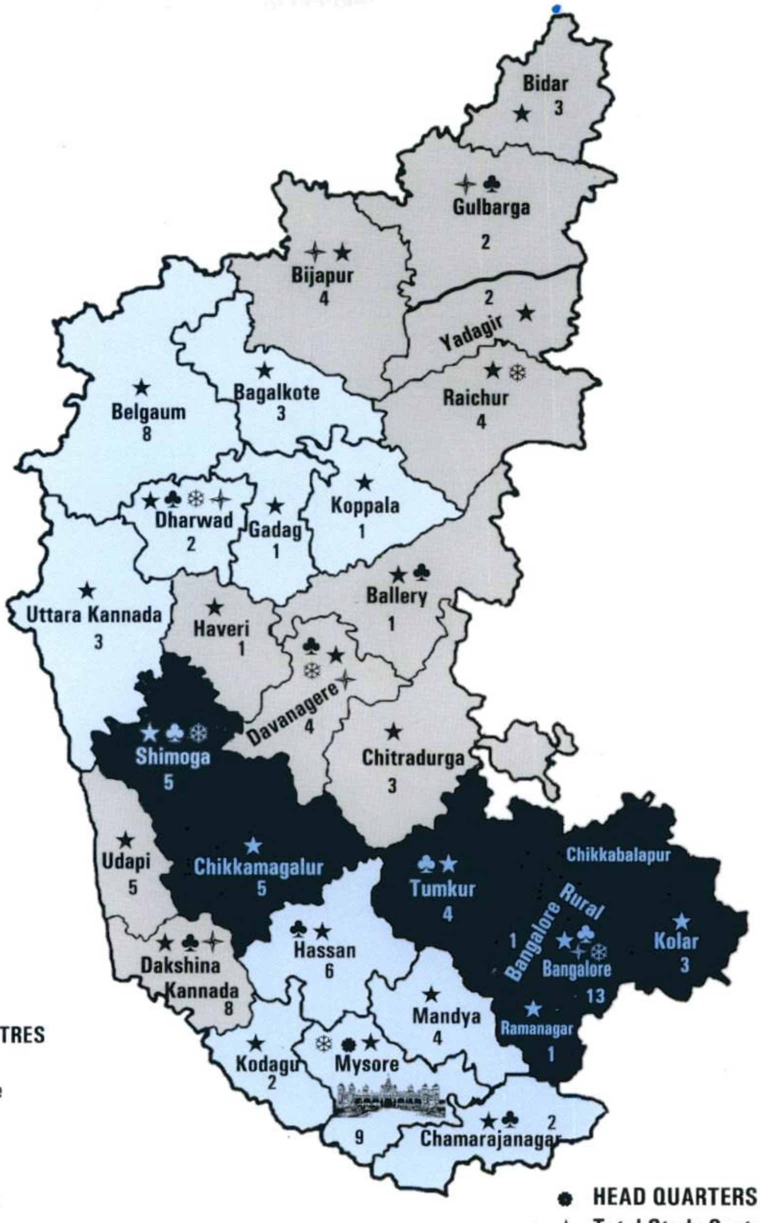


♣ **REGIONAL CENTRES**

Bangalore
Davanagere
Gulbarga
Dharwad
Shimoga
Mangalore
Tumkur
Hassan
Chamarajanagar
Bellary

- ● **HEAD QUARTERS**
- ★ **Total Study Centres : 111**
- ♣ **Regional Centres : 10**
- ❄ **B.Ed Study Centres : 10**
- ✦ **M.Ed Study Centres : 08**

# Karnataka State Open University

Manasagangothri, Mysore - 570 006.